दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आ.प्र.अ.(मू.प.) (वाणी) 7/2023 और सि.वि.आ. 2067/2023 और 2070/2023

ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री अखिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री यशवर्धन, सुश्री रिया मार्शल, सुश्री कृतिका नागपाल, सुश्री स्मिता कांत, श्री तरुण भूषण, श्री प्रणय मोहन गोविल, सुश्री प्रियंका राज और सुश्री सान्या कुमार, अधिवक्तागण ।

बनाम

शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: प्रत्यर्थी-1 के लिए श्री प्रदीप कुमार आर्य, श्री गौरव चौधरी, श्री रणधीर सिंह, श्री प्रियांशु मलिक, श्री राहुल राणा, श्री पुलकित चड्ढा, श्री आदित्य कुमार यादव, श्री राज करण शर्मा, श्री प्रियांशु मलिक और श्री अर्पित बामल, अधिवक्तागण ।

प्रत्यर्थी-5 के लिए श्री अखंड सिंह, श्री अभिनंदन गौतम, सुश्री समृद्धि डोभाल और सुश्री दीक्षा द्विवेदी, अधिवक्तागण। प्रत्यर्थी-6 श्री विहान

डांग, सुश्री अदिति उमापति और सुश्री प्रज्ञा जैन, अधिवक्तागण ।

सुरक्षित : 12 जुलाई, 2023
निर्णय की तिथि: 05 सितंबर, 2023

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन
माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ बनर्जी

सामग्री की सारणी

पैरा सं.

अपील 1-2

तथ्यों 3-7

अपीलार्थी /वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क 8-18

प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क.....19-28

न्यायालय का तर्क 29-89

संशोधन अधिनियम 2018 ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को अपवाद के बजाय सामान्य नियम बना दिया है। विधायी बदलाव संविदाओं के अधिक मजबूत प्रवर्तन की ओर है 29-42

मूल करार और परिशिष्ट पर्यवसेय योग्य नहीं है 43-45

अधिनियम, 1963 की धारा 14 लागू नहीं होती क्योंकि अपीलार्थी केवल नकारात्मक प्रसंविदा लागू कर रहा है। 46-50

न्यायालयों की एकसमान और सुसंगत प्रथा किसी समझौते में नकारात्मक वचन को लागू करना रही है।.....51-56

धारा 27 केवल संविदा के बाद की अवधि में प्रतिबंधों पर लागू होती है.....57-61

हर्जाना पर्याप्त उपाय नहीं है.....62-65

वादपत्र में दिए गए कथनों के मद्देनजर, अपीलार्थी -वादी के मुकदमे को क्षेत्रीय अधिकारिता के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता 66-69

इस करार के मद्देनजर कि समझौता और परिशिष्ट धोखाधड़ी से दूषित हैं, मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।.....70-73

पक्षों के बीच समझौते न तो 'अत्यधिक एकतरफा' होते हैं और न ही वे कोई 'बंधन' लगाते हैं।.....74-76

प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी सं.1 /प्रतिवादी संख्या 6 का आचरण न तो ईमानदार है और न ही निष्पक्ष है.....77-80

नकारात्मक संविदा (परिशिष्ट का खंड 3.5) लागू करने से न तो प्रत्यर्थी सं.1 निष्क्रिय हो जाएगा और न ही उसे अपीलार्थी के साथ विशेष रूप से काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा.....81-83

यह तर्क सही नहीं है कि परिशिष्ट पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। 84

ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी /वादी ने मूल समझौते या परिशिष्ट को भंग किया है.....85

निष्कर्ष 86-89

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. मनमोहन</u>

1. वर्तमान अपील इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सि.वा. (वाणी) 715/2022 में पारित दिनांक 6 जनवरी, 2023 के आदेश/निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत सीपीसी, 1908 के आदेश XXXIX नियम 4 के तहत प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और अपीलार्थी/वादी द्वारा आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सीपीसी, 1908 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिससे दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 का एकपक्षीय अंतरिम आदेश पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।

2. यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलार्थी/वादी ने सि.वा. (वाणी) सं, 715/2022 के तहत एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें प्रत्यर्थीयों/प्रतिवादियों द्वारा कुछ साहित्यिक कार्यों, संगीत कार्यों, सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग में अपीलार्थी/वादी के स्वामित्व वाले कॉपीराइट के कथित अतिलंघन के मद्देनजर स्थायी निषेधाज्ञा, खातों के प्रतिपादन के साथ-साथ हर्जाने की अनुतोष की मांग की गई है।

<u>तथ्य</u>

3. अपीलार्थी /वादी का मामला यह है कि अपीलार्थी/वादी (एक संगीत कंपनी) और प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 (एक गायक) के बीच विस्तृत व्यापारिक वार्ता के बाद, पक्षों ने 27 मई, 2021 को एक उत्पादन समझौता किया, जो 1 जून, 2021 से प्रभावी है ('**मूल समझौता**') तीस (30) महीने (यानी 30 नवंबर, 2023 तक) की अवधि के भीतर दो सौ (200) गीतों के निर्माण और उत्पादन के लिए कुल पाँच करोड़ रुपये (5,00,00,000/- रुपये) का है। मूल समझौते के तहत, प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं.6 द्वारा निर्मित सामग्री/गीतों में सभी बौद्धिक संपदा अपीलार्थी/वादी के पास निहित है, जिससे प्रत्यर्थी सं. 1/प्रतिवादी सं.6 द्वारा निर्मित सामग्री के संबंध में स्वामित्व अधिकार अपीलार्थी/वादी के पास मूल समझौते की अवधि के दौरान प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, मूल समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 ने मूल समझौते की अवधि के दौरान सामग्री के निर्माण और उत्पादन के लिए अपीलार्थी/वादी के साथ विशेष रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की और मूल समझौते के अनुलग्नक डी के तहत प्रदान की गई सीमा और शर्तों को छोड़कर, किसी भी तरह की नई बौद्धिक संपदा या सामग्री के निर्माण के लिए तीसरे पक्ष के साथ काम करने से परहेज करने पर सहमति व्यक्त की। मूल समझौते की प्रासंगिक शर्तें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया हैं:-

समझौते की मुख्य शर्तें		
क्र.सं.	*विशिष्टियां*	*विवरण*

1.	*अंतर्वस्तु*	*बौद्धिक संपदा के दो सौ कार्यों में से कोई भी और सभी कार्य, जिसमें बिना किसी सीमा के, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन द्वारा कमीशन के रूप में कलाकारों द्वारा अवधि के दौरान बनाए गए सभी संगीतमय, गीतात्मक, छायांकन, साहित्यिक, नाटकीय, चित्रात्मक कार्य, चित्र, ध्वनि रिकॉर्डिंग, संगीत, अंतर्निहित कार्य आदि शामिल हैं।*
2.	*अवधि*	*प्रभावी तिथि से 30 (तीस) महीने तक*
3.	*क्षेत्र*	*विश्वव्यापी*
	xxxx	*xxxx xxxx*
5.	*देय प्रतिफल*	*क) ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन इस समझोते की अवधि के दौरान कलाकार को 5,00,00,000/- रुपये (केवल पांच करोड़ रुपये) कर के साथ ("शुल्क") भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि उपाबंध ख में विस्तृत भुगतान शर्तों में निर्धारित तरीके और समयसीमा के अनुसार किया गया है...*
6.	*कोई अन्य शर्तें*	*यहां संलग्न अनुसूची "अ" में बताए गए मानक नियम और शर्तें लागू होंगी। मानक नियम और शर्तों और मुख्य शर्तों के बीच टकराव की स्थिति में, समझौते की मुख्य शर्तों में निर्धारित शर्तें लागू होंगी।*

यह समझौता (जिसे आगे "समझौता" कहा जाएगा) 1 जून, 2021 ("प्रभावी तिथि") को मुंबई में किया गया है।

XXXX XXXX XXXX XXXX

<u>अनुसूची "क"-मानक नियम और शर्तें</u>

1. <u>परिभाषाएँ और व्याख्याएँ</u>

XXXX XXXX XXXX XXXX

1.1.1 विषयवस्तु - का तात्पर्य विभिन्न अवधि की दृश्य-श्रव्य विषयवस्तु से होगा, जिसमें चित्र, ध्वनि रिकॉर्डिंग, संगीत, अंतर्निहित कार्य आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो कलाकार द्वारा समझोते की मुख्य शर्तों के खंड 1 और 4 के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन/निर्मित की जाने वाली है।

XXXX XXXX XXXX XXXX

2. <u>शर्त</u>

यह समझोता समझोते की मुख्य शर्तों के खंड 2 में अधिक विशेष रूप से उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगा ("शर्त") और कलाकार इस समझोते को शर्त के दौरान किसी भी कारण से समाप्त नहीं करेगा।

3. पक्षों कि बाध्यता

3.1 ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन सहमत समयसीमा के अनुसार विचारणीय राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

3.2 कलाकार, 1 सितंबर, 2021 से शुरू होने वाली विषयवस्तु के उत्पादन के लिए या उपाबंध घ में विस्तृत रूप से सीमित अनुमत इकाई दायित्वों के अनुसार प्रदान की गई सामग्री के वितरण और प्रकाशन के पूरा होने के लिए विशेष रूप से निर्माता के साथ काम करेगा और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को सभी परिदेय की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि विशेष रूप से यहां संलग्न उपाबंध क में निर्धारित किया गया है।

XXXX XXXX XXX XXX

3.5 कलाकार अवधि के दौरान किसी भी तरह की नई बौद्धिक संपदा या सामग्री बनाने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के साथ काम नहीं करेगा। यहाँ किसी भी बात के बावजूद, पक्ष सहमत हैं कि कलाकार उपाबंध घ में सूचीबद्ध बहिष्कृत पक्षों को

सामग्री प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि कलाकार द्वारा उक्त उपाबंध घ की शर्तों और नियमों का पालन किया जाए।

3.6 पक्ष सहमत हैं कि यदि कलाकार द्वारा इस समझौते या इसके किसी भी भाग में उल्लंघन पाया जाता है, तो निर्माता को इस समझौते, कानून या अपकृत्य के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलाकार को किसी भी प्रकार की आगे की विषयवस्तु के उत्पादन और/या प्रकाशन से प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, जैसा कि उपाबंध घ में विस्तृत रूप से बताया गया है, तब तक शामिल है जब तक कि कलाकार द्वारा किया गया भंग पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है या ऐसे उल्लंघन के कारण निर्माता द्वारा उठाए गए नुकसान का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है। जिसमें उपाबंध घ में विस्तृत रूप से वर्णित सीमा के बिना शामिल है, जब तक कि कलाकार द्वारा किए गए उल्लंघन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर दिया जाता है या ऐसे उल्लंघन के कारण निर्माता द्वारा उठाए गए नुकसान का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

*4. **<u>व्यपदेशन और वारंटी:</u>***

प्रत्येक पक्ष एतद्द्वारा यह प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि:

XXXX XXXX XXXX XXXX

4.2 यह समझौता एक बाध्यकारी और कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता बनाता है

4.3 वह किसी अन्य समझौते/व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें सहमति नहीं देगा जो उसे इस समझौते के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करने से रोक सकता हो;

xxxx xxxx xxxx xxxx

4.6.13 इस अवधि के दौरान किसी भी तरह से किसी भी विषयवस्तु के उत्पादन के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के साथ काम नहीं करेगा, जब तक कि उपाबंध घ में वर्णित बहिष्करण अनुसूची में अन्यथा विस्तृत न हो।

5. बौद्धिक संपदा अधिकार:

5.1 कलाकार एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि यह समझोता एक 'सेवा का समझोता' है, और सभी सामग्री और कलाकार वितरण, और उसके किसी भी हिस्से और सभी सॉन्ग मास्टर्स को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए कलाकार द्वारा 'काम के लिए किराए' के आधार पर निर्मित और विकसित किया गया माना जाएगा, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन द्वारा आयुक्त किया जाएगा। इसके किसी भी और सभी अधिकारों और बौद्धिक संपदा का निर्माण, विकास, वितरण या आविष्कार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ होगा, जिस क्षण से वे अस्तित्व में आएंगे और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को सामग्री और उसके किसी भी हिस्से में कॉपीराइट का पहला लेखक और मालिक माना जाएगा।

5.2 जहां तक ऐसे कोई अधिकार कानून के संचालन या किसी अन्य कारण से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास निहित नहीं हैं, कलाकार इसके द्वारा विशेष रूप से, अपरिवर्तनीय रूप से और पूर्ण रूप से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को, क्षेत्र के लिए और शाश्वत रूप से, और बिना किसी सीमा, आरक्षण या शर्त के, सभी बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसमें संपूर्ण कॉपीराइट शामिल है, और सभी अन्य अधिकार, शीर्षक या हित, व्युत्पन्न अधिकारों सहित, सभी सामग्री और कलाकार वितरण और उसके किसी भी हिस्से को सौंपता है।

XXXX XXXX XXXX XXXX

7. समाप्ति:

7.1 निर्माता कलाकार को लिखित में सूचना देकर इस समझोते को समाप्त कर सकता है यदि कलाकार इस समझोते के तहत अपने किसी दायित्व को बाध्य करता है और उल्लंघन को ठीक करने के अनुरोध के साथ नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर इस तरह के उल्लंघन को ठीक करने में विफल रहता है। इस तरह की समाप्ति पर, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कलाकार को शुल्क या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कलाकार निर्माता को उस समय तक किए गए काम के लिए किसी भी और सभी परिदेय और सामग्री और उसके किसी भी हिस्से को प्रदान करेगा और कलाकार को इस तरह की

समाप्ति की तारीख तक भुगतान किए गए किसी भी और सभी शुल्क की राशि या कुल देय प्रतिफल, जो भी अधिक हो, वापस करेगा।

7.2 निर्माता किसी भी समय सामग्री का उत्पादन बंद करने का निर्णय ले सकता है और इसके लिए कलाकार को कम से कम सात दिन का नोटिस देना होगा। ऐसी समाप्ति पर, निर्माता कलाकार को किसी भी कार्य के लिए आनुपातिक आधार पर भुगतान करेगा, जब तक कि सेवाओं के निलंबन के लिए सूचना जारी नहीं किया गया था, जिसकी गणना समाप्ति की तिथि पर निर्विवाद रूप से वितरित किए गए परिदेय के आधार पर की जाएगी और कलाकार को निर्माता को उस समय तक किए गए कार्य के लिए सभी परिदेय और विषयवस्तु तथा उसके किसी भी भाग को उपलब्ध कराना होगा।

XXXX XXXX XXXX XXXX

<u>उपाबंध क</u>

<u>ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर कलाकार के परिदेय का विस्तृत विवरण</u>

कलाकार और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की वचनबद्धता कलाकार द्वारा 200 गानों के निर्माण तक सीमित है।

XXXX XXXX XXXX XXXX

<u>उपाबंध ख</u>

भुगतान की शर्तें:

निर्माता को कलाकार को विषयवस्तु के उत्पादन और विकास के लिए कुल 5,00,00,000/- रुपये (केवल पाँच करोड़ रुपये) शुल्क और कर का भुगतान करना होगा, जो निम्नानुसार देय होगा:

क्रम.सं .	*धनराशि*	*दिनांक/ भुगतान का समय*
1.	*रु. 30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये)*	*समझोते के पालन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर और उसके वैध चालान की प्राप्ति के बाद।*

2.	*रु. 1,50,00,000/- (केवल एक करोड़ और पचास लाख रुपये)*	*उपाबंध घ के अनुसार सीमित अनुमत इकाई दायित्वों के पूरा होने के एक महीने के भीतर या 1 सितंबर, 2021 तक, जो भी बाद में हो और उसके वैध चालान की प्राप्ति हो।*
3.	*रु. 3,20,00,000/- (केवल तीन करोड़ बीस लाख रूपये)*	*भुगतान के 60 (साठ) दिन बाद उपर्युक्त दूसरी किश्त और उसके वैध चालान की प्राप्ति।*
	रु. 5,00,00,000/- (केवल पांच करोड़ रुपये)	

भुगतान विवरण: *कलाकार सभी वैध और आवश्यक चालान तैयार करने के लिए नामित इकाई के रूप में केकेआर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त करने का इच्छुक है और इस तरह के चालान के खिलाफ कलाकार की ओर से भुगतान का संग्रह करता है। निर्माता एतद्द्वारा इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करता है बशर्ते कि के. के. आर. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कलाकार बिना किसी सीमा के जीएसटी, आयकर कानूनों आदि सहित सभी वैधानिक अनुपालनों का पालन करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे।*

<u>उपाबंध घ</u>

बहिष्करण अनुसूची

कलाकार इस बात का वचन देता है कि वह इस समझौते की प्रभावी तिथि से लेकर अवधि तक किसी भी नई विषयवस्तु के निर्माण के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के साथ काम नहीं करेगा, सिवाय इसके कि.....।"

4. इसके बाद, पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने और कानूनी नोटिसों के आदान-प्रदान के बाद, अपीलार्थी/वादी और प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी संख्या 6 ने 01

जून, 2021 के मूल समझौते के साथ-साथ इसके हिंदी संस्करण (‘**परिशिष्ट**’) के साथ 07 फरवरी, 2022 (3 मार्च, 2022 को निष्पादित) का एक परिशिष्ट तैयार किया, जिसके तहत पक्षों ने कुछ वाणिज्यिक शर्तों को संशोधित और परिवर्तित किया। दृष्टांत के लिए, प्रक्रिया की अवधि 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई थी, जो आगे के विस्तार के अधीन थी, क्योंकि परिशिष्ट की अवधि के दौरान प्रत्यर्थी सं.1 /प्रतिवादी सं.6 द्वारा दिए गए कुल गीत सौ (100) से कम थे। संशोधित अवधि के दौरान परिदेय किए जाने वाले गानों की संख्या को बदलकर प्रति माह आठ (8) गाने कर दिया गया। देय राशि प्रति गीत दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000 रुपये) थी, साथ ही वार्षिक आधार पर 10% लाभ का हिस्सा भी दिया जाना था। परिशिष्ट के माध्यम से विशिष्टता दायित्वों को हटाने के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं. 6 को गानों के मुद्रीकरण के लिए तीसरे पक्ष के साथ जुड़ने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि अपीलार्थी/वादी के पक्ष में 'प्रथम इनकार का अधिकार' प्रदान किया गया हो। यह रेखांकित करना उचित है कि उपरोक्त शर्तों को छोड़कर, किसी भी अन्य शर्तों में कोई उपांतर, संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया था, विशेष रूप से सामग्री में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामित्व से संबंधित, जो मूल समझौते की शर्तों के अनुसार अपीलार्थी/वादी के पक्ष में निहित रहे। परिशिष्ट की प्रासंगिक शर्तें नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:- परिशिष्ट के प्रासंगिक निबंधनो को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

*"1. **<u>प्रस्तावना</u>***

*1.1. पक्षों ने दिनांकित 27 मई 2021 (**"मूल समझौता"**) को एक समझौता किया है, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है।*

1.2. पक्षकार इस समझौते पर हस्ताक्षर करने, मूल समझौते की शर्तों में संशोधन, परिवर्तन और उपांतरण करने के लिए सहमत हो गए हैं।

XXXX XXXX XXXX XXXX

*3. **<u>विषयवस्तु का परिदेय</u>***

3.1. इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, कलाकार इस समझौते की तारीख से शुरू होने और 30 सितंबर, 2025 ("निबंधन") को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूची 1 ("परिदेय योग्य" और प्रत्येक "परिदेय योग्य") में निर्धारित अनुसूची के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर महीने में निर्माता को 8 (आठ) मूल और नए गाने देने के लिए सहमत होता है। बशर्ते कि, यदि 30 सितंबर, 2025 तक वितरित कुल परिदेय 100 से कम हैं, तो अवधि स्वचालित रूप से तब तक बढ़ा दी जाएगी जब तक कि 100 परिदेयोग्य परिदेय नहीं हो जाते।

XXXX XXXX XXXX XXXX

*3.4. निर्माता को अवधि के दौरान प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के लिए अनुसूची 2 में निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा, जो कि कैलेंडर तिमाही के लिए परिदेयोग्य की परिदेय के लिए अग्रिम राशि के रूप में होगी (**"अग्रिम"**), जिसकी गणना प्रति परिदेयोग्य 250,000 रुपये (**"दर"**) की दर से की जाएगी। यह राशि प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की शुरुआत के [5] दिनों के भीतर चुकाई जाएगी। इस समझौते के प्रयोजनों के लिए 'कैलेंडर तिमाही' का अर्थ किसी भी कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 कैलेंडर महीनों का अवधि होगा ।*

3.5 यदि, और केवल तभी जब निर्माता किसी भी मूल और नए परिदेयोग्य की परिदेय को प्रतिग्रहण करने से इनकार करता है, तो कलाकार ऐसे गीत के मुद्रीकरण के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ने का हकदार होगा।

XXXX XXXX XXXX XXXX

*5. **अतिरिक्त अवधि***

XXXX XXXX XXXX XXXX

5.2. इस समझौते के अवधि के सख्त अनुपालन के अधीन, निर्माता एक लाभ हिस्सेदारी व्यवस्था के लिए सहमत होता है जिसके तहत कलाकार को निर्माता द्वारा परिदेयोग्य से सीधे उत्पन्न होने वाले मुनाफे में 10% हिस्सा पाने का अधिकार होगा। देय राशि की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाएगी और 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

*6. **मूल समझौता***

6.1. मूल समझौते की मुख्य शर्तों के खंड 1, 2, 5 तथा मूल समझौते के उपाबंध क और उपाबंध ख, इस समझौते के खंड 3 और खंड 4 द्वारा संशोधित, उपांतरित और भिन्न माने जाएंगे।

6.2. मूल समझौते के खंड 3.2, 3.5 और 3.6 तथा अनुलग्नक घ इस समझौते की तिथि से लेकर खंड 8.1.2 के अनुसार इस समझौते के समाप्त होने तक निलंबित और प्रभावहीन रहेंगे। ऐसी समाप्ति पर इस समझौते के खंड 8.3 के प्रावधान लागू होंगे। बशर्ते कि मूल समझौते के खंड 3.2, 3.5 और 3.6 तथा उपाबंध घ में निहित प्रतिबंध यूट्यूब चैनलों - और "ब्लूबीट" के संबंध में 1 अप्रैल, 2022 से तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि उनमें से प्रत्येक चैनल निर्माता की सामग्री प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आ जाता।

6.3. प्रत्येक पक्ष बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से मूल समझौते के किसी भी निरसन, समाप्ति या अस्वीकृति को वापस लेता है, और इसके द्वारा सहमत होता है कि मूल समझौते को इसकी संपूर्णता में बहाल किया जाता है, सिवाय इसके कि इसे समझौते द्वारा संशोधित, परिवर्तित और भिन्न किया गया हो और खंड 8.3 के अधीन हो। मूल समझौते के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, और इसके संबंध में जारी सभी कानूनी सूचना बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से वापस ले लिए जाएंगे।

6.4. यह समझौता मूल समझौते का एक अभिन्न अंग है और इसे मूल समझौते के साथ ही सम्पूर्ण रूप में पढ़ा जाएगा तथा यह इस विषय-वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच सम्पूर्ण समझौता होगा, जिसमें इस विषय-वस्तु से संबंधित सभी पूर्व समझौतों, या सहमति और आश्वासनों को शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वे लिखित हों या मौखिक। इस संशोधन पत्र में निहित उपांतरणों या संशोधनों को छोड़कर, किसी भी पक्ष के अधिकारों और दायित्वों में किसी भी तरह से परिवर्तन या संशोधन नहीं माना जाएगा।

XXXX XXXX XXXX XXXX

*9. **विविध***

XXXX XXXX XXX XXX

9.9. गैर-विनिर्दिष्ट उपचार।

9.9.1. इस समझौते में प्रदान किए गए अधिकार और उपचार संचयी हैं और इनमें से कोई भी किसी अन्य, या किसी भी अधिकार या उपचार से अनन्य नहीं है जो किसी भी पक्ष को कानून या इक्विटी में अन्यथा प्राप्त हो सकता है...

(जोर दिया गया)

5. अपीलार्थी/वादी का मामला यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या.6 ने विषयवस्तु बनाई और तीसरे पक्ष यानी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 और 7 से 14 को प्रतिवादी संख्या 6 के प्लेटफॉर्म पर इसे अपलोड करके विषयवस्तु को बढ़ावा देने/मुद्रीकृत करने की अनुमति दी, और इस तरह कथित रूप से अपीलार्थी/वादी में निहित प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया। इस प्रकार व्यथित अपीलार्थी/वादी ने उचित अनुतोष के लिए सिविल वाद (वाणी) संख्या

715/2022 के तहत वाद दायर करके विद्वान एकल न्यायाधीश से संपर्क किया और अंतरिम अनुतोष की मांग की।

6. 14 अक्टूबर, 2022 को, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने, उपरोक्त समझौतों के तहत अपीलार्थी/वादी के प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 और प्रत्यर्थी संख्या 7 से 14 को प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा बनाई गई सभी विषयवस्तु को दिखाने, जारी करने, लॉन्च करने, प्रसारित करने या मुद्रीकरण करने से रोक दिया, जो कि यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक आदि जैसे प्लेटफार्मों पर उपरोक्त समझौतों के तहत अपीलार्थी/वादी को दिए गए प्रतिलिप्यधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकारों का अतिलंघन है। प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी संख्या 6 को परिशिष्ट के साथ पढ़े गए मूल समझौते के उल्लंघन में किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया गया था। 14 अक्टूबर, 2022 के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"26. तदनुसार, प्रतिवादी सं.1 से 4 और प्रतिवादी संख्या 7 से 14 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बनाई गई सभी विषयवस्तुओं को दिखाने, जारी करने, लॉन्च करने, प्रसारित करने या मुद्रीकरण करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जो यूट्यूब और स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक इत्यादि जैसे अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर वादी के साथ किए गए उपरोक्त समझौते के तहत वादी के* प्रतिलिप्यधिकार *और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है, और प्रत्यर्थी संख्या.1 मैं सुनवाई की अगली तारीख तक वादी के साथ किए गए मूल समझौते और परिशिष्ट का उल्लंघन करते हुए किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं करेगा।"*

7. हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से 14 अक्टूबर, 2022 के अंतरिम आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के खिलाफ पारित निर्देश भी शामिल थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में पाया कि मूल समझौता एक 'सेवा संविदा' होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर था और मूल संविदा उन संविदाओं की श्रेणी में आता है जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 ('अधिनियम, 1963') की धारा 14(ग) के अनुसार विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, ***इन्फिनिटी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (आईओएस) बनाम विजेंद्र सिंह एवं अन्य, एमएएनयू /डीई /2856/2009 और राजस्थान ब्रुअरीज लिमिटेड बनाम द स्ट्रोह ब्रुअरीज कंपनी, 2000 एससीसी ऑनलाइन डेल 481*** पर भरोसा करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि मूल समझौता दो निजी पक्षों के बीच पारस्परिक लाभ और फायदे के लिए एक वाणिज्यिक संविदा है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा बिना कोई कारण बताए और उचित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, यहां तक कि विनिर्दिष्ट समाप्ति अधिकार के अभाव में भी। इसलिए, संविदा प्रकृति में निर्धारणीय होने के कारण अधिनियम, 1963 की धारा 14 (घ) को देखते हुए प्रवर्तनीय नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***परसेप्ट डी'मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान एवं अन्य (2006)4 एससीसी 227*** पर भी भरोसा किया, यह मानने के लिए कि मूल समझौता में विशिष्टता खंड और अपीलार्थी/वादी के पक्ष में परिशिष्ट के

तहत 'पहले इनकार का अधिकार' स्पष्ट रूप से भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत निहित प्रतिबंध से प्रभावित थे, क्योंकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा मूल समझौते की समाप्ति से पर प्रतिबंधात्मक प्रसंविदा के संचालन के लिए निषेधाज्ञा मांगी थी। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> *"25. वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए, मेरे विचार में, अभियोक्ता कंपनी के पक्ष में अंतरिम व्यादेश देने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। वर्तमान मामले में संविदा एक 'सेवा संविदा' था जैसा कि मूल समझौते के खंड 5.1 में स्वीकार किया गया था और यह कलाकार की व्यक्तिगत योग्यताओं पर निर्भर था। इसलिए, संविदा उन संविदाओं की श्रेणी में आता है जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 (ग) के संदर्भ में विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं।*
>
> *26. संविदा में कलाकार के लिए संविदा को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, समाप्ति का अधिकार केवल वादी कंपनी को प्रदान किया गया है। हालाँकि, संविदा में आपसी लाभ और लाभ के लिए दो निजी पक्षों के बीच एक वाणिज्यिक संविदा होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि कलाकार उपरोक्त संविदा को समाप्त नहीं कर सका। एक बार जब पक्ष ने एक-दूसरे पर आपसी भरोसा और विश्वास खो देते हैं, तो न्यायालय कलाकार को वादी कंपनी के साथ अपने संविदात्मक दायित्वों को जारी रखने के लिए मजबूर करने वाला व्यादेश नहीं दे सकती है। इसलिए, संविदा प्रकृति में निर्धारित होने के कारण, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 (घ) को देखते हुए लागू करने योग्य नहीं है।*
>
> *XXX XXX XXX*

28. राजस्थान ब्रुअरीज (उपरोक्त) के आदेश के अनुसार, ऐसे मामलों में, कलाकार को बिना कोई कारण बताए और उचित सूचना देकर संविदा को समाप्त करने के लिए अधिकृत करने वाले एक विनिर्दिष्ट खंड की अनुपस्थिति में भी संविदा को समाप्त किया जा सकता है। अंततः, यदि यह पाया जाता है कि कलाकार द्वारा की गई समाप्ति अवैध थी, तो वादी कंपनी के पास उपलब्ध उपाय गलत समाप्ति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करना होगा। वास्तव में, वादी कंपनी ने स्वयं शिकायत में 5,00,00,000/- रुपये के हर्जाने का दावा किया है। हालाँकि, अभियोक्ता कंपनी संविदा को विशेष रूप से लागू करने के लिए व्यादेश की मांग नहीं कर सकती है, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 (ग) और (घ) के तहत वर्जित है।

29. अभियोक्ता कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया था कि वर्तमान मुकदमा संविदा के विनिर्दिष्ट प्रदर्शन की मांग करने वाला मुकदमा नहीं है, बल्कि वादी कंपनी के प्रतिलिपयाधिकर का अतिलंघन करने से प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का मुकदमा है। मैं उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में योग्यता नहीं पाता हूँ। हालाँकि, वाद में प्रार्थनाओं को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह धारणा दी जाए कि वाद प्रतिलिपयाधिकार अतिलंघन के वाद में दायर किया गया है, वास्तव में, यह 'सेवा संविदा' के विनिर्दिष्ट प्रदर्शन के वाद में एक वाद है, जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 (ग) और (घ) के तहत वर्जित है। समझौते के खंड 5.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वादी प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी तभी बनेगा जब भविष्य में प्रतिलिप्यधिकार बनाया जाएगा। इसलिए, वादी उन गीतों/सामग्री में किसी भी प्रतिलिप्यधिकार का दावा नहीं कर सकता है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आए हैं। इसलिए, मेरे विचार में इस दृष्टिकोण से, वर्तमान वाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद के अलावा और कुछ नहीं है, यद्यपि इसे प्रतिलिप्यधिकार के उल्लंघन के लिए व्यादेश मांगने वाले वाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है

30. अन्यथा भी, मूल समझौते में विशिष्टता खंड और परिशिष्ट के तहत वादी के पक्ष में 'पहले इनकार करने का अधिकार' स्पष्ट रूप से भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 में निहित बार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रभावित हैं। जहीर खान (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविदा-पश्चात प्रसंविदाओं के मामले में न तो तर्कसंगतता का परीक्षण और न ही आंशिक संयम का सिद्धांत लागू होता है,। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 का अधिदेश स्पष्ट है कि किसी प्रतिबंधात्मक प्रसंविदा को, जो संविदा की अवधि से आगे विस्तारित होती है, लागू नहीं किया जा सकता है तथा उपर्युक्त सिद्धांत न केवल रोजगार संविदाओं पर बल्कि अन्य सभी प्रकार की संविदाओं पर लागू होता है। किसी कलाकार को हमेशा के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य पक्ष के साथ सौदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वादी कंपनी के पक्ष में व्यादेश दिए जाने से कलाकार को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई मौद्रिक रूप से नहीं की जा सकती क्योंकि उसे व्यक्तिगत सेवा के संविदा को जारी रखने के लिए बाध्य किया जाएगा, भले ही पक्षों के बीच आपसी विश्वास खत्म हो गया हो। इसलिए, सुविधा का संतुलन व्यादेश प्रदान करने के लिए वादी कंपनी के पक्ष में नहीं है।"

<u>अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क</u>

8. अपीलार्थी/वादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थी सं.1 /प्रतिवादी सं. 6 भोजपुरी फिल्म उद्योग में एक गायक, नर्तक और अभिनेता हैं, जो विभिन्न रियलिटी टीवी शो में भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि मूल समझौते को अपीलार्थी/वादी और प्रतिवादी के बीच कोविड-19 महामारी के दौरान विस्तृत बातचीत के बाद निष्पादित किया गया था, जब दुनिया गतिरोध हो गई थी और विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 जैसे कलाकारों के लिए कोई काम नहीं था।

9. उन्होंने बताया कि मूल समझौते के तहत प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपने दायित्वों का भंग करने और उनके अनुरोध के साथ-साथ उनके प्रबंधक और कानूनी सलाहकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ, परिशिष्ट का पालन किया गया था, जिसके तहत मूल समझौते में कुछ वाणिज्यिक अवधि को संशोधित किया गया था। उन्होंने कहा कि परिशिष्ट के अनुसार, शब्द यदि मूल समझौते के तहत मूल रूप से विचार किए गए दो सौ (200) गीतों के बजाय संशोधित अवधि के दौरान प्रत्यर्थी सं. 1/ प्रतिवादी सं. 6 द्वारा दिए गए कुल गीत एक सौ (100) से कम थे, तो इसे आगे के विस्तार के अधीन 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिशिष्ट के तहत, वितरित किए जाने वाले गीतों की संख्या को प्रति माह आठ (8) गीतों में संशोधित किया गया था और प्रति गीत के आधार पर देय दो लाख और पचास हजार (रुपये) प्रति परीदेय था, साथ ही अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में दस प्रतिशत (10%) लाभ हिस्सेदारी का भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाना था और प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी संख्या 6 को तीसरे पक्ष के साथ जुड़ने की अनुमति दी गई थी, जो अपीलार्थी/वादी के लिए 'पहले इनकार करने के अधिकार' के लिए उपलब्ध था। इस प्रकार, उनके अनुसार, हालांकि अंतर्वस्तु विषय में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामित्व में कोई संशोधन नहीं किया गया था, जो अपीलार्थी/वादी में निहित रहा, फिर भी कलाकार को कुछ शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी।

10. अपीलार्थी/वादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि तत्काल मामले में संविदात्मक अवधि 30 सितंबर, 2025 तक है जो अभी भी मौजूद है और अपीलार्थी/वादी उक्त संविदा अवधि तक परिशिष्ट में नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करने की मांग कर रहा है, न कि 30 सितंबर, 2025 से आगे कि।

11. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1963 की धारा 14 वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि अपीलार्थी/वादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की नहीं बल्कि एक नकारात्मक प्रसंविदा के प्रसंविदा के लिए व्यादेश की मांग कर रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कुछ भी न्यायालय को व्यक्तिगत सेवा के संविदा में नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करने के लिए व्यादेश देने से बाधित नहीं करता है जिससे किसी पक्ष को कहीं और काम करने से रोका जा सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***लुमले वी. वैगनर (1852) आई डी जी. एम. और छ .604, वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स बनाम नेल्सन 1937 (1) के. बी. 209, निरंजन शंकर गोलिकरी बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (1967) 2 एससीआर 378, गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम कोका कोला कंपनी एवं अन्य (1995) 5 एससीसी 545, परसेप्ट डी मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान एवं अन्य*** (उपरोक्त) साथ ही ***माखनलाल नट्टा बनाम त्रिदिब घोष एवं अन्य एआईआर 1993 कैल 289*** के मामले में न्यायालय ने प्रतिवादियों को तीसरे पक्ष को अपनी सेवाएं प्रदान करने

से रोकते हुए व्यादेश प्रदान की और इस प्रकार व्यक्तिगत सेवा के संविदा की नकारात्मक प्रसंविदा को लागू किया।

12. अपीलार्थी/वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने "संविदा की एकतरफा समाप्ति" को "संविदा की समाप्ति" के साथ जोड़कर गलती की और इसलिए, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 को गलत तरीके से लागू किया जो संविदा के बाद की अवधि के प्रतिबंधों पर लागू होती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालयों और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समझौते के मूल कार्यकाल के दौरान, यानी समझौते में उल्लिखित अवधि के दौरान, पीड़ित पक्ष के साथ समझौते को भंग करते हुए व्यथित पक्ष को कहीं और शामिल होने/प्रदर्शन करने से उचित रूप से रोक दिया है, भले ही उक्त पक्ष ने पीड़ित पक्ष की सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया था या संविदा को समाप्त कर दिया था। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:-

> *"27. **व्यापार के प्रतिबंध में समझौता, शून्य** - प्रत्येक समझौता जिसके द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार के वैध पेशे, व्यापार या व्यवसाय का प्रयोग करने से रोका जाता है, उस हद तक शून्य है।....."*

13. उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित निर्णय गलत तरीके से ***परसेप्ट डी 'मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान और अन्य*** (उपरोक्त) पर निर्भर था। जो इस मामले पूरी तरह से अलग है क्योंकि उस मामले में संविदा समाप्त हो

गया था यानी समय के प्रवाह से समाप्त हो गया था और संविदा का प्रदर्शन पूरा हो गया था।

14. उन्होंने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अपीलार्थी/वादी को हर्जाने द्वारा पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिशिष्ट के तहत, प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं. 6 प्रति गीत दो लाख पचास हजार (रुपये 2,50,000-) की राशि का हकदार था और परीदेय से प्राप्त लाभ में दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) के हिस्से का हकदार भी था। उनके अनुसार, परिशिष्ट के तहत अपीलार्थी/वादी के लिए जिन गीतों पर विचार किया गया था, उनसे होने वाले राजस्व का किसी भी तरह से पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि अलग-अलग मंचों पर अलग-अलग गीतों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं जो एक जारी और निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि जब तक गीत किसी भी मंच पर उपलब्ध है, तब तक इसे देखा जा सकता है और इसलिए, गीतों से अर्जित राजस्व की कोई निश्चित राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वे बदलते रहेंगे और परिणामस्वरूप, ऐसे राजस्व के नुकसान के लिए नुकसान का पता नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1963 की धारा 38 (3) न्यायालय को व्यादेश देने में सक्षम बनाती है जहां आक्रमण से हुए वास्तविक नुकसान या होने की संभावना का पता लगाने के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है।

15. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में विद्यमान संविदा के कानून से पूरी तरह से विपरीत था क्योंकि यह पूरी तरह से अस्थिर आधार पर एक संविदा पक्ष को संविदात्मक अनुबंधों/दायित्वों से पूरी तरह से दोषमुक्त करता है कि पक्षों ने एक-दूसरे पर विश्वास खो दिया था और इसलिए, भंग करने वाले पक्ष को उसकी शर्तों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

16. उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 14 अक्टूबर, 2022 के अंतरिम आदेश के इरादे को पूरी तरह से गलत समझा, जिसे केवल मूल समझौते और परिशिष्ट के तहत अपीलार्थी/वादी के प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा के लिए पारित किया गया था। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि 14 अक्टूबर, 2022 के आदेश में प्रत्यर्थी को समझौते को पूरा करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था, यानी समझौतों के अनुसार गीत प्रदान करने के लिए और इसलिए, समझौतों के विनिर्दिष्ट प्रदर्शन या अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत वर्जित होने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मूल समझौते में प्रत्यर्थी सं. 1/प्रतिवादी सं.6 पर प्रतिबंध और तीसरे पक्ष के पक्ष में अधिकार नहीं बनाने के लिए परिशिष्ट केवल एक परिणामी और आवश्यक अनुतोष थी ताकि अपीलार्थी/वादी के प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा की जा सके जिसके बिना अपीलार्थी/वादी के प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा नहीं की जा सकती है।

17. उन्होंने बताया कि आक्षेपित निर्णय ने गलती से 14 अक्टूबर, 2022 के अंतरिम आदेश को पूरी तरह से छोड़ दिया, यहां तक कि मौजूदा गीत (प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं. 6 के अनुसार ग्यारह और अपीलार्थी/वादी के अनुसार बारह) जो तात्पर्य समाप्ति से पहले मूल समझौते और परिशिष्ट के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए थे और जो स्वीकार्य रूप से अपीलार्थी/वादी के स्वामित्व में हैं।

18. उन्होंने अंत में कहा कि यह बचाव कि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 ने अपीलार्थी/वादी के गलत बयान के आधार पर समझौता किया था, क्योंकि वह अंग्रेजी में पारंगत नहीं है, यह गलत है। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं.6 ने प्रत्यर्थी नंबर 2 और प्रत्यर्थी नंबर 5 के साथ इसी तरह के समझौते किए थे, जिन पर उन्होंने एकल न्यायाधीश के समक्ष विवाद नहीं किया था। वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 5 ने 14 अक्टूबर, 2022 के आदेश को समाप्त करने के लिए इस आधार पर आवेदन दायर किए थे कि उनके प्रत्यर्थी संख्या 6 के साथ समान समझौते थे, जो आवेदनों के साथ दायर नहीं किए गए थे। एक ओर प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 5 और दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 6 के बीच कथित समझौतों को दाखिल न करने के बारे में उक्त तथ्य को अपीलार्थी/वादी द्वारा नियुक्त एकल न्यायाधीश के समक्ष बहस के दौरान इंगित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त समझौतों के अवलोकन और खुली आंखों से यह स्पष्ट है कि उक्त समझौतों पर प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं. 6 के हस्ताक्षर जाली थे क्योंकि वे मूल समझौते

और परिशिष्ट पर किए गए हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं. 6 और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच कथित समनुदेशन समझौते के पालन की तारीख 01 जून, 2021 है, जो अपीलार्थी/ वादी के साथ मूल समझौते के समान है, जो कथित समनुदेशन समझौते की प्रामाणिकता पर सवाल उठाता है। उनके अनुसार, प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं. 6 इन दोनों समझौतों के पालन के लिए एक ही दिन में दो अलग-अलग शहरों में नहीं हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो एलएलपी के आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसे 06 अक्टूबर, 2021 को शामिल किया गया था। इसलिए, कथित समनुदेशन समझौते की तारीख यानी 1 जून, 2021 को, प्रत्यर्थी संख्या 2 भी मौजूद नहीं थी। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं. 6 ने प्रत्यर्थी सं. 2 और प्रत्यर्थी सं. 5 के साथ दुरभिसंधि करके अपीलार्थी/वादी के न्यायोचित अधिकारों को पराजित करने के लिए इस न्यायालय के साथ कपट किया था।

<u>प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं. 6 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क</u>

19. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुकदमे में दावा किया गया अनुतोष वर्जित हैं क्योंकि समझौता सेवा और काम के लिए किराए के आधार पर एक संविदा है और

इसलिए, अपीलार्थी/वादी अधिनियम, 1963 की धारा 14 (ग) के संदर्भ में मूल समझौते या परिशिष्ट के विशिष्ट पालन की मांग नहीं कर सकते हैं।

20. उन्होंने कहा कि अपीलार्थी/ वादी और प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 के बीच निष्पादित समझौते निर्धारित संविदाएं थी, जिनके भंगों की भरपाई पैसे के रूप में की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता/ वादी द्वारा जिस समझौते पर भरोसा किया गया है, वह स्वयं उक्त समझौतों के किसी भी भंग के मामले में नुकसान की मात्रा निर्धारित करता है और इसलिए, अधिक से अधिक अपीलार्थी/ वादी समझौतों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उक्त नुकसान का दावा कर सकता है। इसलिए, उनके अनुसार,अपीलार्थी/ वादी द्वारा मांगी गई अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14(घ) के तहत वर्जित है।

21. प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी/वादी द्वारा जिस 27 मई, 2021 के समझौते पर भरोसा किया गया है, उसमें विवाद समाधान खंड 9.8 शामिल है क्योंकि इसमें मध्यस्थता का संदर्भ शामिल है। नतीजतन, उनके अनुसार, अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत वर्जित है।

22. उन्होंने आगे कहा कि कथित समझौते के उपरोक्त खंड 9.9 के मद्देनजर, इस न्यायालय के पास समझौते से उत्पन्न विवाद का निपटारा करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव है। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर वाद में शामिल कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा इस न्यायालय के क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ और प्रत्यर्थीयों के साथ-साथ अपीलार्थी/वादी में से कोई भी इस न्यायालय के क्षेत्र में निवास नहीं करता, व्यवसाय नहीं करता या व्यक्तिगत लाभ के लिए काम नहीं करता।

23. उन्होंने कहा कि *प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6* को अंग्रेजी भाषा लिखना और पढ़ना नहीं आता जिसमें मूल समझौता तैयार किया गया था और उन्होंने पूरी ईमानदारी और सद्भावना के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें संविदा की शर्तों और उनके द्वारा लगाए गए दायित्वों के बारे में जानकारी नहीं थी। उनके अनुसार, अपीलार्थी/ वादी ने संविदा की शर्तों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 को कपट से बंधन में फंसाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि संविदाओं के शुरुआत से ही पक्षों के बीच पूर्ण अविश्वास था और प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा परिशिष्ट पर कभी कार्रवाई नहीं की गई।

24. उन्होंने आगे कहा कि मूल समझौते और परिशिष्ट को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि वे अत्यधिक एकतरफा थे और अपीलार्थी/वादी पर कोई दायित्व नहीं डालते थे, जबकि उसी समय प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 के किसी भी तरह के वैध पेशे, व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार पर अतर्कसंगत, अनुचित और अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाते थे।उन्होंने तर्क दिया कि मूल समझौते और परिशिष्ट ने प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 पर विशिष्टता खंड के माध्यम से एक "बंधन" लगाया क्योंकि इसने उक्त प्रतिवादी को अपीलार्थी/वादी के अलावा किसी अन्य कंपनी के लिए काम करने और गाने से रोक दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि वर्तमान कार्यवाही में अपीलार्थी/वादी को कोई अनुतोष दी जाती है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 निष्क्रिय हो जाएगा - एक ऐसी स्थिति जो अधिनियम, 1963 में नहीं है। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने ***एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड बनाम मलिका मल्होत्रा, 2021 (6) आर.ए.जे. 628 (दिल्ली), सिमरन म्यूजिक कंपनी बनाम प्रीत बरार एवं अन्य, एम। ए. एन। यू. /डीई /9846/2007, इन्फिनिटी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (आईओएस) बनाम विजेंदर सिंह एवं अन्य,*** (उपरोक्त) और ***वॉरेन बनाम मेंडी एवं अन्य [1989] 1 डब्ल्यू.एल.आर. 853*** का हवाला दिया।

25. उन्होंने दलील दी कि अपीलार्थी/वादी व्यादेश हासिल करके प्रत्यर्थी को किसी भी तरह का व्यापार/कारोबार करने के उसके अधिकार का इस्तेमाल करने

से नहीं रोक सकते। उनके अनुसार, दोनों समझौते भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 का स्पष्ट उल्लंघन थे और इसलिए शून्य थे।

26. उन्होंने कहा कि उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिलिप्यधिकार के कथित अतिलंघन से बहुत पहले ही नोटिस देकर अपीलार्थी/ वादी के साथ मूल समझौते को समाप्त कर दिया था और इसलिए, मूल समझौता प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं था। उन्होंने बताया कि वर्तमान कार्यवाही में अपीलार्थी/ वादी द्वारा समझौतों की समाप्ति को चुनौती नहीं दी गई थी। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि संविदा की समाप्ति के बाद नकारात्मक वाचा को लागू नहीं किया जा सकता है।

27. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***इनफिनिटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (आईओएस) बनाम विजेन्द्र सिंह एवं अन्य*** (उपरोक्त) और ***राजस्थान ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम द स्ट्रौह ब्रेवरी कंपनी*** (उपरोक्त) सहित कई मामलों में यह माना गया है कि जब संविदा को समाप्त करने की शक्ति समझौते में प्रदान नहीं की जाती है, तब भी किसी भी वाणिज्यिक लेनदेन को उचित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है और एक बार जब पक्षकार एक-दूसरे पर आपसी भरोसा और विश्वास खो देते हैं, तो न्यायालय अधिनियम, 1963 की धारा 14 (घ) के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 को अपने संविदात्मक दायित्वों को जारी रखने के लिए बाध्य करने वाला व्यादेश नहीं दे सकता है।

इन्फिनिटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय का प्रासंगिक भाग ***(आई. ओ. एस) बनाम विजेंदर सिंह और अन्य*** (उपरोक्त) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"... 7. प्रतिनिधित्व और सेवाओं का संविदा आपसी विश्वास पर आधारित है और यदि पक्षों के बीच विश्वास खो जाता है, तो एक पक्ष को संविदा को बनाए रखने के लिए न्यायालय द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है। मेरा यह भी मानना है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 को देखते हुए, किसी खिलाड़ी पर एक कंपनी की एजेंसी के संविदा को समाप्त करने और किसी अन्य कंपनी को देने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। धारा 27 व्यापार, कारोबार या पेशे पर रोक या प्रतिबन्ध को अस्वीकृत और नकारती है। राजस्थान ब्रुअरीज लिमिटेड बनाम स्ट्रोह ब्रुअरी कंपनी ए. आई. आर. 2000 दिल्ली 450 के मामले में, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा था कि किसी भी पक्ष को उसमें निर्दिष्ट घटनाओं के होने की स्थिति में एक समझौते को समाप्त करने के लिए अधिकृत और सक्षम करने वाले विनिर्दिष्ट खंड की अनुपस्थिति में में भी, एक उचित नोटिस देकर कारण बताए बिना भी एक वाणिज्यिक लेनदेन को समाप्त किया जा सकता है और अंततः यदि यह पाया जाता है कि समाप्ति कानून गलत था या किसी भी शर्त या समझौते का उल्लंघन कर रहा था, तो अपीलार्थी का उपाय इस तरह की गलत समाप्ति के लिए मुआवजे की मांग करना होगा, लेकिन विनिर्दिष्ट पालन के लिए दावा नहीं पाएगा।"*

28. उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि विनिर्दिष्ट पालन मामलों से निपटने के दौरान न्यायालयों के पास व्यापक विवेकाधिकार होता है। परिणामस्वरूप, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के अपवाद के साथ हर्जाना देती हैं।

न्यायालय का तर्क

संशोधन अधिनियम 2018 ने संविदा के विशिष्ट पालन को अपवाद के बजाय एक सामान्य नियम बना दिया है। विधायी बदलाव संविदाओं के अधिक सशक्त प्रवर्तन की ओर है।

29. विशिष्ट पालन न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध संविदा द्वारा सहमत किए गए कार्य को करने के कर्तव्य को लागू करने के लिए दिया गया एक न्यायसंगत अनुतोष है। प्रभावी उपचारात्मक कार्रवाई की खोज की प्रक्रिया में ही इंग्लैंड में इक्विटी न्यायालयों से विशिष्ट राहत की शुरुआत हुई। सर एडवर्ड फ्राई ने अपने, संविदाओं के विशिष्ट पालन पर एक ग्रंथ, के 6वें संस्करण में कहा है कि *"संविदा के गैर-पालन के लिए सामान्य कानून में एकमात्र उपाय क्षतिपूर्ति है... सामान्य कानून एक प्रस्ताव को सार्वभौमिक मानता है जो अधिकांश भाग के लिए सत्य है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है, अर्थात, पैसा हर नुकसान का एक माप है। सामान्य कानून सिद्धांत की इस सार्वभौमिकता से उत्पन्न न्याय की हार को विशिष्ट पालन को बाध्य करने के लिए इक्विटी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र द्वारा कुछ मामलों में पूरा किया गया और उसका समाधान किया गया।*

30. कानून की इस शाखा में इंग्लैंड के क्रमिक कुलपतियों द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को भारतीय न्यायालयों ने उधार लिया और भारतीय कानून को समृद्ध बनाने का काम किया। 1877 का विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1862 के न्यूयॉर्क सिविल कोड के मसौदे पर आधारित था और इसमें इंग्लैंड में न्यायाधिकरणों द्वारा विकसित प्रासंगिक सिद्धांतों को शामिल किया गया था।

1877 का अधिनियम संपूर्ण नहीं था। दशकों तक इस अधिनियम की न्यायिक व्याख्या की गई जिससे कई कमियाँ और खामियाँ सामने आईं।

31. विधि आयोग की नौवीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 को लागू किया गया था। अधिनियम, 1963, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, ने न्यायालयों को विनिर्दिष्ट पालन का आदेश देने और निषेधाज्ञा आदि को अस्वीकार करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान कीं। व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के परिणामस्वरूप, अधिकांश मामलों में न्यायालयों ने एक सामान्य नियम के रूप में हर्जाना प्रदान किया और एक अपवाद के रूप में विनिर्दिष्ट पालन प्रदान किया।

32. हालांकि, हाल ही में यह महसूस किया गया कि 1963 का अधिनियम हमारे देश में हो रहे तेजी से आर्थिक विकास और देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा गतिविधियों के विस्तार के अनुरूप नहीं है। भारत ने भी 'संविदाओं के प्रवर्तन' और 'व्यवसाय करने में आसानी' में भी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विश्व बैंक ने अपनी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' 2018 की रिपोर्ट में भारत को 190 देशों में से 100वें स्थान पर रखा है। 'संविदाओं के प्रवर्तन' में, विश्व बैंक के व्यवसाय करने के संकेतकों के अनुसार भारत 190 देशों में से 164वें स्थान पर था।

33. तदनुसार, जनहित को बढ़ावा देने, 'व्यवसाय करने में आसानी' और संविदा के भंग या पूरा न करने के कारण नुकसान झेलने वाले पक्षों को एक

प्रभावी उपाय प्रदान करने के इरादे से, भारत सरकार ने श्री आनंद देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

34. उक्त समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, भारत सरकार ने अधिनियम, 1963 में संभावित रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया (देखें - ***कट्टा सुजाता रेड्डी और एक अन्य बनाम सिद्धमसेट्टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2023) 1 एससीसी 355***)। विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण (जिसे इसके बाद **'संशोधन अधिनियम, 2018** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 को कुछ प्रकार की विनिर्दिष्ट अनुतोष से संबंधित कानून को परिभाषित करने और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन , संविदा जो विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, पक्ष जो प्राप्त कर सकते हैं और जिनके खिलाफ विनिर्दिष्ट पालन प्राप्त किया जा सकता है, आदि के प्रावधान शामिल हैं। यह न्यायालयों को विनिर्दिष्ट पालन का आदेश देने और व्यादेश आदि को अस्वीकार करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान करता है। व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के परिणामस्वरूप, अधिकांश मामलों में न्यायालय एक सामान्य नियम के रूप में हर्जाना प्रदान करती हैं और एक अपवाद के रूप में विनिर्दिष्ट पालन प्रदान करती हैं।

2. इस अधिनियम के लागू होने के बाद से जबरदस्त आर्थिक विकास ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक

उपयोगिताओं के बुनियादी ढांचे के विकास आदि सहित भारी वाणिज्यिक गतिविधियों को जन्म दिया है।; जिनसे संविदाओं के प्रवर्तन, विवादों के त्वरित निपटान की सुविधा के लिए संबंधित कानूनों में व्यापक सुधार किए गए हैं। यह महसूस किया गया है कि यह अधिनियम हमारे देश में हो रहे तेजी से आर्थिक विकास और देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा गतिविधियों के विस्तार के अनुरूप नहीं है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट पालन देने के लिए न्यायालयों के व्यापक विवेकाधिकार को समाप्त करने और संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को कुछ सीमित आधारों के अधीन अपवाद के बजाय एक सामान्य नियम बनाने का प्रस्ताव है।इसके अलावा, संविदाओं के प्रतिस्थापित प्रदर्शन के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव है, जहां एक संविदा टूट जाता है, पीड़ित पक्ष किसी तीसरे पक्ष या अपनी एजेंसी द्वारा संविदा प्राप्त करने का हकदार होगा और मुआवजे सहित खर्च और लागत की वसूली करने का हकदार होगा, जिसमें वह पक्ष जो संविदा का अपने हिस्से का प्रदर्शन करने में विफल रहा। यह उस पक्ष के विकल्प पर एक वैकल्पिक उपाय होगा जो टूटे हुए संविदा से पीड़ित है। न्यायालयों को विनिर्दिष्ट मुद्दों पर विशेषज्ञों को शामिल करने और उनकी उपस्थिति आदि सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने का भी प्रस्ताव है।

4. अवसंरचना परियोजना संविदाओं का मुकदमा एक नई धारा 20क प्रस्तावित की गई है जिसमें यह प्रावधान है कि न्यायालय किसी भी मुकदमे में व्यादेश नहीं देगा, जहां यह प्रतीत होता है कि व्यादेश देने से अवसंरचना परियोजना को जारी रखने या पूरा करने में बाधा या देरी होगी। आर्थिक कार्य विभाग परियोजनाओं और अवसंरचना उप-क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों को निर्दिष्ट करने के लिए नोडल एजेंसी है, जो विधेयक की अनुसूची के रूप में प्रदान की गई है और यह प्रस्तावित है कि उक्त विभाग ऐसी किसी भी श्रेणी या उप-क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची में संशोधन कर सकता है।

5. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के संबंध में मुकदमों की सुनवाई करने और प्रतिवादी सम्मन देने की सेवा की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर ऐसे मुकदमों का निपटारा करने के लिए

विशेष न्यायालयों को नामित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए कारण दर्ज करने के बाद उक्त अवधि को कुल मिलाकर और छह महीने के लिए बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।.."

35. यह स्थापित कानून है कि विधेयक को प्रस्तुत करने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विधेयक के प्रस्तावक द्वारा दिए गए भाषण को निश्चित रूप से उस दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है कि दुर्व्यवहार को दूर करने और विचाराधीन कानून के उद्देश्य और उद्देश्य की मांग की गई । ***कल्पना मेहता बनाम भारत संघ, (2018) 7 एससीसी 1: 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 512*** में, सर्वोच्च न्यायालय निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"125. के. पी. वर्गीज बनाम सी. आई. टी., (1981) 4 एस. सी. सी. 173:1981 एस. सी. सी. (कर) 293, न्यायालय ने मंत्री के बजट भाषण का उल्लेख करते हुए फैसला सुनाया कि सदन के पटल पर विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण जहां एक वैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए एक विधेयक पर बहस की जा रही है, वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के उद्देश्य से अस्वीकार्य हैं। लेकिन न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि विधेयक को पेश करने के कारणों की व्याख्या करते हुए विधेयक के प्रस्तावक द्वारा दिए गए भाषण को निश्चित रूप से उस दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है जिसे दूर करने की मांग की गई थी और विचाराधीन कानून का विषय और उद्देश्य। न्यायालय के अनुसार, इस तरह का दृष्टिकोण न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि भारत में भी न्यायिक विचार के अनुरूप था क्योंकि एक अधिनियम की व्याख्या के अभ्यास में, जो कुछ भी तार्किक रूप से प्रासंगिक है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद, न्यायालय ने इस न्यायालय के

कुछ फैसलों को स्वीकार किया, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषणों पर न्यायालय द्वारा किसी विशेष खंड को पेश करने के कारण का पता लगाने के उद्देश्य से भरोसा किया गया था।

XXX XXX XXX

134. उपरोक्त से, यह दिन के रूप में स्पष्ट है कि न्यायालय वैधानिक प्रावधानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सराहना करने के उद्देश्य से संसदीय समिति की रिपोर्ट की सहायता ले सकता है और यह समिति की रिपोर्ट या संसद के सदन में मंत्री के भाषण को भी संदर्भित कर सकता है यदि किसी अधिनियम के प्रावधान में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या विसंगति है।

XXX XXX XXX

144. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि संसदीय कार्यवाहियों के बीच एक आंतरिक अंतर है जो किसी मंत्री के बयान के रूप में या किसी अधिनियम के उद्देश्य को उजागर करने के लिए संसद में बनाए गए विधेयक के प्रस्तावक के रूप में या उस मामले के लिए, एक संसदीय समिति की रिपोर्ट जो एक कानून के अधिनियमन से पहले अस्तित्व में आई थी और संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताए गए "तथ्य" के एक विवादास्पद/परस्पर विरोधी मामले के रूप में है। यह पूर्व श्रेणी के अंतर्गत आने वाली संसदीय कार्यवाहियाँ हैं जिनका न्यायालयों को धारा 57, खंड (4) के तहत न्यायिक नोटिस लेने का आदेश दिया गया है, जबकि संसदीय कार्यवाहियों की बाद की श्रेणी के लिए, ऐसी कार्यवाहियों के दौरान बताए गए तथ्य के विवादास्पद मामले की सच्चाई को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से साबित करना होगा।"

36. तत्कालीन विधि और न्यायाधीश मंत्री और इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने संशोधन अधिनियम, 2018 मे पेश करते हुए इसके औचित्य को इस प्रकार समझाया:-

"श्री रविशंकर प्रसादः महोदय, क्या मैं इस विधेयक के औचित्य की व्याख्या कर सकता हूँ? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम वर्ष 1963 में लागू किया गया था। और, अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नुकसान और मौद्रिक मुआवजा मानक होगा और एक विनिर्दिष्ट अनुतोष एक अपवाद होगी। इतना कि अधिनियम की धारा 41 के तहत, कोई गलती करने वाला पक्ष भागने की कोशिश करने की स्थिति में कोई व्यादेश नहीं दी जा सकती है। आप नुकसान उठाते हैं। महोदय, अब समय बीतने के साथ भारत में बुनियादी ढांचा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बहुत पैसा आ रहा है और निवेश हो रहा है। और, उनमें से कई अंततः उन संविदाओं में भाग लेते हैं जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के संबंध में प्रासंगिक हैं। अब, महोदय, कई मामलों में, गलत पक्ष या विचलित पक्ष, वे समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जब भी पक्ष न्यायलाय जाते थे, वे कहते थे, "कोई विनिर्दिष्ट पालन नहीं, आप पैसे लेते हैं। "ईज़ ऑफ द डूइंग बिजनेस में हमारी स्थिति को भी प्रभावित कर रहा था। इसलिए, अंततः, यह सोचा गया कि इस मामले को संबोधित करने की आवश्यकता है। और, अंततः, प्रतिष्ठित लोगों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया और उस समिति ने सिफारिश की- कानूनी फर्मों के लोग थे; उद्योग के लोग थे-कि इसके लिए उचित संशोधन की आवश्यकता है। और इसलिए, हम एक संशोधन के साथ आए। जिस संशोधन को हम आज पेश करना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? यह मूल रूप से तीन गुना है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अब, एक विनिर्दिष्ट प्रदर्शन नियम होगा और नुकसान अपवाद रहा है। इसलिए, हमने विधेयक का पूरा ध्यान 1963 से 2017-18 पर केंद्रित कर दिया है।...."

37. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम, 2018 के पीछे प्राथमिक उद्देश्य संविदाओं के प्रवर्तन में अधिक निश्चितता लाना है और इसके परिणामस्वरूप 'संविदाओं के प्रवर्तन' और 'व्यापार करने में आसानी' में भारत की रैंकिंग में सुधार करना है।

38. इस न्यायालय का विचार है कि 2018 का संशोधन अधिनियम, भारत में संविदात्मक प्रवर्तन के संबंध में कानून में एक आदर्श बदलाव लाता है। विधायी बदलाव का एक स्पष्ट उदाहरण अधिनियम, 1963 की धारा 14 का संशोधन है जो पहले के उपखंड (क) को हटा देता है, जिसमें निर्धारित किया गया था कि जिन संविदाओं के गैर-पालन के लिए मुआवजे में पर्याप्त अनुतोष थी, उन्हें विशेष रूप से लागू नहीं किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह दलील कि किसी पक्ष को संविदा के भंग के लिए नुकसान के रूप में मौद्रिक शर्तों में मुआवजा दिया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप उक्त आधार पर अंतरिम व्यादेश से इनकार किया जा सकता है, अब संविदा के विनिर्दिष्ट प्रदर्शन से इनकार करने का आधार नहीं है। नतीजतन, संशोधन अधिनियम, 2018 क्षतिपूर्ति को दी गई प्रधानता को समाप्त कर देता है। यह संविदा के भंग के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने के पिछले व्यतिक्रम उपाय से ध्यान हटाकर संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन को लागू करने पर केंद्रित करता है। जिसमे परिवर्तन को उजागर करने के लिए अधिनियम, 1963 और संशोधन अधिनियम, 2018 के कुछ प्रावधानों की तुलना नीचे की गई है:-

धारा	***1963 का अधिनियम***	***संशोधित अधिनियम, 01.10.2018 से प्रभावी***
धारा 10	***10. मामले जिनमें संविदा का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है***	***10. संविदाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रदर्शन।***
	सिवाय, किसी भी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय	*किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा*

	के विवेकानुसार प्रवर्तित कराया जा सकेगा- *(क) जबकि उस कार्य का, जिसके करने का करार हुआ है अपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो; अथवा* *(ख) जबकि वह कार्य, जिसके करने का करार हुआ है ऐसा हो कि उसके अपालन के लिए धन के रूप के प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष न पहुंचाता हो ।* ***स्पष्टीकरण:** जब तक और जहां तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए न्यायालय यह उपधारित करेगा कि-* *(i) स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के भंग का धन के रूप में प्रतिकर द्वारा यथायोग्य अनुतोष नहीं दिया जा सकता; तथा* *(ii) जंगम सम्पत्ति के अन्तरण की संविदा के भंग का इस प्रकार अनुतोष दिया जा सकता है सिवाय निम्नलिखित दशाओं के-* *(क) जहां कि सम्पत्ति मामूली वाणिज्य-वस्तु न*	*(2), धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जाएगा।*

	हो अथवा वादी के लिए विशेष मूल्य या हित की हो अथवा ऐसा माल हो जो बाजार में सुगमता से अभिप्राप्य नहीं हो; *(ख) जहां कि सम्पति प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो।*	
धारा 14	***14. संविदाएं जो विनिर्दिष्टतः प्रवर्तनीय नहीं हैं-*** *(1) निम्नलिखित संविदाएं विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित नहीं कराई जा सकतीं, अर्थात् :-* *(क) <u>वह संविदा जिसके अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष हो;</u>* *(ख) वह संविदा जिसमे सूक्ष्म या बहुत से ब्यौरे हों अथवा जो पक्षकारों की वैयक्तिक अर्हताओं या स्वेच्छा पर इतनी आश्रित हो अथवा अन्यथा अपनी प्रकृति के कारण ऐसी हो कि न्यायालय उसके तात्विक निबन्धनों के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन न करा सकता हो;*	***14. संविदाएं जो विनिर्दिष्टतः प्रवर्तनीय नहीं हैं.-*** *निम्नलिखित संविदाओं को विनिर्दिष्टतया प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता ; अर्थात्* *(क) जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है;* *(ख) कोई ऐसी संविदा, जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है, जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता;*

	(ग) वह संविदा जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवसेय हो;	*(ग) कोई ऐसी संविदा, जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता; और*
	(घ) वह संविदा जिसके पालन में ऐसा सतत् कर्तव्य का पालन अन्तर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके ।	*(घ) कोई ऐसी संविदा, जो अवधारणीय प्रकृति की है*
	(2) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) में यथा उपबन्धित के सिवाय वर्तमान या भावी मतभेदों को माध्यस्थम् के लिए निर्देशन करने की कोई भी संविदा विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित नहीं की जाएगी, किन्तु यदि कोई व्यक्ति जिसने (ऐसे माध्यस्थम्-करार से, जिसे उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हों, भिन्न) ऐसी संविदा की हो और उसका पालन करने से इंकार कर दिया हो किसी ऐसे विषय के बारे में वाद लाए, जिसके निर्देशन की उसने संविदा की है, तो ऐसी संविदा का अस्तित्व उस वाद का वर्जन करेगा।	
	(3) उपधारा (1) के खण्ड	

	(क) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन करा सकेगा- *(क) जहां कि वाद ऐसी संविदा के प्रवर्तन के लिए हो, और-* *(i) किसी ऐसे ऋण के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए, जिसे उधार लेने वाला तत्क्षण प्रतिसंदत्त करने को रजामन्द न हो, बन्धक निष्पादन करने या कोई अन्य प्रतिभूति देने के लिए हो :* ***परन्तु** जहां कि उधार का केवल एक भाग दिया गया हो, वहां यह तब जब कि उधार देने वाला संविदा के निबन्धनों के अनुसार उधार का अवशिष्ट भाग देने को रजामन्द हो, अथवा* *(ii) किसी कम्पनी के कोई डिबेंचर लेने और उनके निमित्त संदाय करने के लिए हो;* *(ख) जहां कि वाद-* *(i) भागीदारी के प्ररूपिक विलेख के*	

	निष्पादन के लिए हो, यदि भागीदारी के कारबार का चलाना पक्षकारों ने प्रारम्भ कर दिया हो; अथवा *(ii) किसी फर्म के भागीदार के अंश के क्रय के लिए हो;* *(ग) जहां कि बाद ऐसी संविदा का प्रवर्तन कराने के लिए हो जो कोई निर्माण तैयार करने के लिए या भूमि पर कोई अन्य संकर्म के निष्पादन के लिए है :* ***परन्तु** यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात् :-* *(i) निर्माण या अन्य संकर्म संविदा में पर्याप्त रूप से प्रमित शब्दों में ऐसे वर्णित हों कि न्यायालय निर्माण या संकर्म की ठीक-ठीक प्रकृति का अवधारण करने में समर्थ हो सके;* *(ii) संविदा के पालन में बादी का सारभूत हित हो और हित भी ऐसी प्रकृति का हो कि धन के रूप में प्रतिकर उसके अपालन के लिए यथायोग्य अनुतोष न हो; तथा*	

	(iii) संविदा के अनुसरण में प्रतिवादी ने उस समस्त भूमि का या उसके किसी भाग का कब्जा अभिप्रापत *कर लिया हो जिस पर निर्माण तैयार या अन्य संकर्म निष्पादित किया जाना है।*	
धारा 16	***16. अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन-*** ***संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता-*** *(क) <u>जो उसके भंग के लिए प्रतिकर वसूल करने का हकदार न हो, अथवा</u>* *(ख) जो संविदा के किसी मर्मभूत निबन्धन का, जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशयित संबंध का विसंवादी या ध्वंसक हो; अथवा*	***16. अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन-*** ***संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नही कराया जा सकता -*** *(क) जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है; या]* *(ख) जो संविदा के किसी मर्मभूत निबन्धन का, जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट करे अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशयित संबंध का विसंवादी या ध्वंसक हो; अथवा*

	(ग) जो यह प्रकथन करने और साबित करने में असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबन्धनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबन्धनों का, जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामन्द रहा है।	*(ग) जो यह साबित करने में] असफल रहे कि उसके संविदा के उन निबन्धनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबन्धनों का, जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं, उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामन्द रहा है।*
	स्पष्टीकरण- *खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए-*	*स्पष्टीकरण: खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए-*
	(i) जहां कि संविदा में धन का संदाय अन्तर्वलित हो, वादी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिवादी को किसी धन का वास्तव में निविदान करे या न्यायालय में निक्षेप करे सिवाय जबकि न्यायालय ने ऐसा करने का निदेश दिया हो;	*(i) जहां कि संविदा में धन का संदाय अन्तर्वलित हो, वादी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिवादी को किसी धन का वास्तव में निविदान करे या न्यायालय में निक्षेप करे सिवाय जबकि न्यायालय ने ऐसा करने का निदेश दिया हो;*
	(ii) वादी को यह प्रकथन करना होगा कि वह संविदा का उसके शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर चुका, अथवा पालन करने को	*(ii) वादी को 2 [यह साबित करना होगा कि वह संविदा का उसके शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर चुका, अथवा पालन करने को तैयार और रजामन्द है।*

	तैयार और रजामन्द है।	
धारा 20	***20. विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने के बारे में विवेकाधिकार***	***20. संविदा का प्रतिस्थापित पालन***
	(1) <u>विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने की अधिकारिता वैवेकिक है और न्यायालय ऐसा अनुतोष अनुदत्त करने के लिए आबद्ध नहीं है केवल इस कारण से कि ऐसा करना विधिपूर्ण है</u> किन्तु न्यायालय का यह विवेकाधिकार मनमाना नहीं है वरन् स्वस्थ और युक्तियुक्त, न्यायिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित तथा अपील न्यायालय द्वारा शुद्धिशक्य है।	*(1) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (18729) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय, जिस पर पक्षकार सहमत हैं, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, वहां उस पक्षकार के पास, जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत, व्ययनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का, विकल्प रहेगा।*
	(2) निम्नलिखित दशाएं ऐसी हैं जिनमें न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री न करने के अपने विवेकाधिकार का उचिततया प्रयोग कर सकेगा- *(क) जहां कि संविदा के निबन्धन या संविदा करने के समय पक्षकारों का आचरण या अन्य परिस्थितियां, जिनके अधीन संविदा की गई थी,*	*(2) उपधारा (1) के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे पक्षकार ने, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को तीस दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस, उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए, जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, नहीं दे देता हो और उसका ऐसा*

	ऐसी हों कि संविदा यद्यपि शून्यकरणीय नहीं है, तथापि वादी को प्रतिवादी के ऊपर अऋजु फायदा देती है; अथवा *(ख) जहां कि संविदा का पालन प्रतिवादी को कुछ ऐसे कष्ट में डाल देगा जिसकी वह पहले से कल्पना नहीं कर सका था, और उसका अपालन वादी को वैसे किसी कष्ट में नहीं डालेगा;* *(ग) जहां कि प्रतिवादी ने संविदा ऐसी परिस्थितियों के अधीन की हो जिनसे यद्यपि संविदा शून्यकरणीय तो नहीं हो जाती किन्तु उसके विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन असामयिक हो जाता है।* ***स्पष्टीकरण 1***- *प्रतिफल की अपर्याप्तता मात्र या यह तथ्य मात्र कि संविदा प्रतिवादी के लिए दुर्भर या अपनी प्रकृति से ही अदूरदर्शी है, खण्ड (क) के अर्थ के भीतर अऋजु फायदा अथवा खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर कष्ट न समझा जाएगा।* ***स्पष्टीकरण 2***- *यह प्रश्न कि संविदा का पालन खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर*	*करने से इनकार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर वह उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा करा सकेगा :* *परंतु वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, उपधारा (1) के अधीन व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक उसने किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन न करा लिया हो ।*

	प्रतिवादी को कष्ट में डाल देगा या नहीं, संविदा के समय विद्यमान परिस्थितियों के प्रति निर्देशन से अवधारित किया जाएगा सिवाय उन दशाओं के जिनमें कि कष्ट संविदा के पश्चात् वादी द्वारा किए गए ऐसे किसी कार्य के परिणामस्वरूप हुआ हो ।	
	(3) किसी ऐसी दशा में जहां कि वादी ने विनिर्दिष्टतः पालनीय संविदा के परिणामस्वरूप सारवान् कार्य किए हैं या हानियां उठाई हैं वहां न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने के विवेकाधिकार का उचिततया प्रयोग कर सकेगा।	*(3) जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा (1) के अधीन नोटिस देने के पश्चात् किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा।*
	(4) न्यायालय किसी पक्षकार को संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने से इंकार केवल इस आधार पर नहीं करेगा कि संविदा दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर प्रवर्तनीय नहीं है।	*(4) इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को, जो संविदा के भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी।*
धारा 21	***21. कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति*** *(1) किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में वादी, ऐसे पालन के या तो अतिरिक्त या स्थान पर*	***21. कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति-*** *(1) किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में वादी, ऐसे पालन <u>के स्थान पर</u> उसके भंग के लिए*

	उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा। *(2) यदि किसी ऐसे वाद में, न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए किन्तु पक्षकार के बीच ऐसी संविदा है जो प्रतिवादी द्वारा भंग की गई है और वादी उस भंग के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है, तो वह उसे तद्नुसार वैसा प्रतिकर दिलाएगा।* *(3) यदि किसी ऐसे बाद में, न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त किया जाना चाहिए किन्तु उस मामले में न्याय की तुष्टि के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है और संविदा के भंग के लिए वादी को कुछ प्रतिकर भी दिया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार उसको ऐसा प्रतिकर दिलाएगा।* *(4) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की रकम के अवधारण में न्यायालय, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का*	*प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा।* *(2) यदि किसी ऐसे वाद में, न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए किन्तु पक्षकार के बीच ऐसी संविदा है जो प्रतिवादी द्वारा भंग की गई है और वादी उस भंग के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है, तो वह उसे तद्नुसार वैसा प्रतिकर दिलाएगा।* *(3) यदि किसी ऐसे वाद में, न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त किया जाना चाहिए किन्तु उस मामले में न्याय की तुष्टि के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है और संविदा के भंग के लिए वादी को कुछ प्रतिकर भी दिया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार उसको ऐसा प्रतिकर दिलाएगा।* *(4) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की रकम के अवधारण में न्यायालय, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का*

	9) की धारा 73 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा। *(5) इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर नहीं दिलाया जाएगा जब तब कि वादी ने अपने वादपत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो :* ***परन्तु** जहां वादपत्र में वादी ने किसी ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में वादी को वादपत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा अन्तर्गत करने के लिए संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबन्धनों पर देगा जैसे न्यायसंगत हों।* ***स्पष्टीकरण** : यह परिस्थिति कि संविदा विनिर्दिष्ट पालन के अयोग्य हो गई है न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग से प्रवारित नहीं करती।*	*9) की धारा 73 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा।* *(5) इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर नहीं दिलाया जाएगा जब तब कि वादी ने अपने वादपत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो :* *परन्तु जहां वादपत्र में वादी ने किसी ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में वादी को वादपत्र में ऐसे प्रतिकर का दावा अन्तर्गत करने के लिए संशोधित करने की अनुज्ञा ऐसे निबन्धनों पर देगा जैसे न्यायसंगत हों।* *स्पष्टीकरण यह परिस्थिति कि संविदा विनिर्दिष्ट पालन के अयोग्य हो गई है न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग से प्रवारित नहीं करती ।*

39. इस न्यायालय का विचार है कि संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा लाए गए परिवर्तनों के आधार पर, न्यायालय अब विनिर्दिष्ट पालन प्रदान करेंगे, जब

तक कि अनुतोष के लिए दावा कानून में निर्धारित सीमित आधारों के तहत वर्जित न हो। इस परिवर्तन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके संविदात्मक अपेक्षाओं की अधिक सुरक्षा प्रदान करना है कि एक गैर-चूककर्ता पक्ष वह पालन प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसने सौदेबाजी की थी। संशोधन अधिनियम, 2018 का उद्देश्य उन गलत पक्षों को हतोत्साहित करना है जो किसी संविदा को निष्पादित करने की तुलना में उसे भंग करना अधिक व्यवहार्य समझते हैं, क्योंकि नुकसान की लागत अभी भी पालन की लागत से कम हो सकती है।

40. संशोधन अधिनियम, 2018 ने भारतीय विनिर्दिष्ट पालन अधिनियम को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संविदाओं के यूनिड्रोइट सिद्धांतों के अनुरूप भी लाया है, क्योंकि यह वाणिज्यिक संविदाओं को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून में सामंजस्य स्थापित करने की आकांक्षा रखता है।

41. हाल ही में "विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018" पर लिखे एक लेख में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र की सहस्त्रार्ची उमा पांडे ने एक चार्ट के माध्यम से अधिनियम, 1963 और संशोधन अधिनियम, 2018 के बीच आशय और दृष्टिकोण में समग्र परिवर्तन को निम्नानुसार दर्शाया है:-

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम,1963	***संशोधन अधिनियम,2018***
संविदा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय के विवेक पर निर्भर था।	*संविदाओं के विशिष्ट पालन की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है*

व्यतिक्रमी की ओर से संविदा को लागू करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था।	*किसी तीसरे पक्ष द्वारा संविदा के प्रतिस्थापित पालन का प्रावधान।*
न्यायाधीशों के व्ययन में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था।	*न्यायालय को अवसंरचना और संबंधित मामलों में एक या एक से अधिक विशेषज्ञों से विशेषज्ञ राय लेने का अधिकार है।*
इन वादों के निपटारे के लिए कोई विशेष समय अवधि नहीं थी, जिसके कारण संविदा संबंधी दायित्वों को लागू करने में कई वर्षों तक अड़चन और विलम्ब होता रहा।	*विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत दायर वाद का निपटारा प्रतिवादी को समन की तामील की तारीख से बारह महीने के भीतर करना होगा। न्यायालय द्वारा लिखित कारणों को दर्ज करने के बाद इस अवधि को छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।*
किसी भी न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभ्यंकन नहीं किया गया था तथा नियमित सिविल न्यायालयों को ऐसे मामलों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त था तथा वे तदनुसार ही उनसे निपटते थे।	*राज्य सरकार द्वारा कुछ सिविल न्यायालयों को विनिर्दिष्ट न्यायालयों के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है, जो विशेष रूप से बुनियादी ढांचे से संबंधित विवादों से संबंधित मामलों से निपटेंगे।*

42. परिणामस्वरूप, संशोधन अधिनियम, 2018 ने विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रकृति को न्यायसंगत, विवेकाधीन उपाय से बदलकर कानूनी उपाय बना दिया है। इसने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को अपवाद के बजाय सामान्य नियम बना दिया है।

<u>मूल समझौता और परिशिष्ट निर्धारित नहीं किए जा सकते</u>

43. विचाराधीन समझौते निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें नकारात्मक प्रसंविदा है और प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 को उन्हें समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मूल समझौते की अनुसूची क खंड 2 में यह प्रावधान है कि "कलाकार (प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6*) किसी भी कारण से किसी भी अवधि में इस समझौते को समाप्त नहीं करेगा।*"

44. ***राजस्थान ब्रुअरीज लिमिटेड बनाम द स्ट्रोह ब्रुअरीज कंपनी*** (उपरोक्त) मामले में, समझौते की समाप्ति को मुख्य रूप से उस समझौते में नकारात्मक प्रसंविदा की अनुपस्थिति के कारण बरकरार रखा गया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> *"15 ... इसे विभिन्न खंडों द्वारा लिया गया था और यह विवादित नहीं है और यह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी सही ढंग से बताया गया है कि इस विचाराधीन समझौतों में कोई नकारात्मक प्रसंविदा नहीं है। क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक प्रसंविदा नहीं थी, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि तकनीकी सहायता समझौता के खंड 8 में उल्लिखित किसी भी घटना के घटित होने पर तथा तकनीकी जानकारी समझौते में समान संगत खंड के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा समझौता समाप्त किया जा सकता है। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि समझौता प्रत्यर्थी के आदेश पर निर्धारित किया जा सकता था, इसलिए, यह प्रकृति में निर्धारणीय है और इसमें उल्लिखित किसी भी घटना के घटित होने पर दोनों पक्षों के विकल्प पर प्रतिसंहरणीय है...."*

45. इसके अलावा, चूंकि विधायी बदलाव समझौतों के अधिक मजबूत प्रवर्तन की ओर है, इस न्यायालय की राय है कि ***इन्फिनिटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (आईओएस) बनाम विजेंद्र सिंह*** (उपरोक्त) के समान इस

न्यायालय के निर्णय, जहां तक उनका मानना हैं कि ऐसी धारणा है कि किसी भी वाणिज्यिक लेनदेन को उचित नोटिस देकर समाप्ति खंड की अनुपस्थिति में समाप्त किया जा सकता है और/या ऐसे संविदा जिनके गैर-पालन के लिए धन में मुआवजा एक पर्याप्त अनुतोष थी, को विशेष रूप से लागू नहीं किया जाएगा, अब अच्छे कानून नहीं हैं।

अधिनियम, 1963 की धारा 14 अप्रभावी है क्योंकि अपीलार्थी केवल एक नकारात्मक प्रसंविदा को लागू कर रहा है।

46. जबकि अधिनियम, 1963 की धारा 14 और 41 में ऐसे समझौतों का प्रावधान है जो विनिर्दिष्ट रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, अधिनियम, 1963 की धारा 42 में नकारात्मक प्रसंविदा के प्रवर्तन का प्रावधान है। अधिनियम, 1963 की धारा 42 नकारात्मक प्रसंविदा के प्रवर्तन का उपबंध करता है। उक्त धाराएँ नीचे पुन: प्रस्तुत की गई हैं:-

> *"**14. संविदाएं जो विनिर्दिष्टतः प्रवर्तनीय नहीं हैं-** निम्नलिखित संविदाएं विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित नहीं कराई जा सकतीं, अर्थात्:-*
> *(क) जहां संविदा के किसी पक्ष ने धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार संविदा का प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है*
> *(ख) एक संविदा, जिसके पालन में एक निरंतर कर्तव्य का पालन शामिल है जिसे न्यायालय पर्यवेक्षित नहीं कर सकती है;*
> *(ग) एसी संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत योग्यताओं पर इतना निर्भर है कि न्यायालय उसकी तात्विक शर्तों के विशिष्ट पालन को लागू नहीं कर सकता; और*
> *(घ) एक संविदा जो अपने स्वभाव से निर्धारणीय है।*

XXXX XXXX XXXX

41. व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है- *व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता:*

XXXX XXXX XXXX

(ङ) किसी ऐसे संविदा के भंग को रोकने के लिए जिसका पालन विनिर्दिष्टतः लागू नहीं किया जाएगा।

42. नकारात्मक समझौते के पालन का व्यादेश - *धारा 41 के खण्ड (ङ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि किसी संविदा में किसी निश्चित कार्य को करने का सकारात्मक समझौता और उसी के साथ किसी निश्चित कार्य को न करने का अभिव्यक्त या विवक्षित नकारात्मक समझौता, समाविष्ट हो वहां यह परिस्थिति कि न्यायालय सकारात्मक समझौते का विनिर्दिष्टतः पालन विवश करने में असमर्थ है न्यायालय नकारात्मक समझौता पालन का व्यादेश अनुदत्त करने से प्रवारित नहीं करेगी:*

बशर्ते कि वादी संविदा का पालन करने में विफल न हुआ हो, जहां तक यह उस पर बाध्यकारी है।"

47. उपरोक्त प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि समझौते के विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष और समझौते में नकारात्मक प्रसंविदा के पालन के लिए व्यादेश के बीच विशिष्टता है।

48. उपरोक्त विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी/वादी को प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा समझौतों की कथित समाप्ति को उचित रूप से चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसने दी है।

49. वर्तमान मामले में पक्षों के बीच निष्पादित परिशिष्ट में एक नकारात्मक प्रसंविदा (खंड 3.5) है और वर्तमान अपील के माध्यम से अपीलार्थी/ वादी केवल उक्त नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करने की मांग करता है। तदनुसार, धारा 14 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है क्योंकि अपीलार्थी/वादी किसी समझौते के विनिर्दिष्ट प्रदर्शन की मांग नहीं कर रहा है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से माना गया है, बल्कि केवल एक नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करने की मांग कर रहा है।

50. परिणामस्वरूप, आरोपित निर्णय में अंतर्निहित मूल भ्रांति यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी/वादी के मामले को मूल समझौतें या परिशिष्ट के विनिर्दिष्ट पालन के लिए लिया।

न्यायालयों की एकरूपता *और संगत व्यवहार किसी समझौते में नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करना रहा है।*

51. भारत और इंग्लैंड में न्यायालयों की एकरूपता और संगत व्यवहार एक समझौते में नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करने की रही है।

52. ***लुमले बनाम वैगनर*** (उपरोक्त) में प्रतिवादी ने लुमले के साथ तीन (3) महीने की अवधि के लिए सप्ताह में दो (2) रातों में ड्यूरी लेन थिएटर में गाने के लिए और लुमले की लिखित सहमति के बिना उस अवधि के दौरान किसी अन्य थिएटर में अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं करने के लिए सहमति व्यक्त की थी,। इसके बाद वह कोवेंट गार्डन में ग्ये के लिए तीन महीने के दौरान गाने

के लिए एक बड़े भुगतान के लिए और लुमले के साथ समझौते को परित्याग करना के लिए सहमत हो गईं। लॉर्ड सेंट लियोनार्ड्स एल.सी. ने उन्हें ग्ये के लिए गाने से रोकते हुए एक व्यादेश दिया, और कहा:

> ***"यह सच है कि मेरे पास उसे गाने के लिए बाध्य करने का कोई अभिप्रेत नहीं है, लेकिन अगर मैं उसे किसी ऐसे कार्य को करने से विरत रहने के लिए मजबूर करूं, जिसे न करने का उसने स्वयं वचन लिया है, तो उसे शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए।"***
>
> (जोर दिया गया)

53. इसी सिद्धांत पर, ***वेमर ब्रदर्स बनाम नेल्सन*** (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियोक्ता को छोड़कर किसी के लिए भी एक अभिनेता के रूप में सेवा करने के विरुद्ध नकारात्मक प्रसंविदा के भंग को व्यादेश द्वारा रोका जा सकता है। इस तरह का व्यादेश सकारात्मक दायित्व निभाने के लिए एक उत्प्रेरणा प्रदान कर सकता है, लेकिन यह गायक या अभिनेता या कर्मचारी को सहमत कार्य करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य करने में विफल रहता है

54. वास्तव में, ***वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स बनाम नेल्सन*** (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय को ***निरंजन शंकर गोलिकरी बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड*** (सुप्रा) में लागू किया गया था। जिसमें कर्मचारी निरंजन गोलीकरी ने पांच (5) वर्षों की संविदात्मक अवधि के दौरान नियोक्ता की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था और दूसरी कंपनी में शामिल हो गए थे, फिर

भी उच्चतम न्यायालय ने उनके विरुद्ध जारी व्यादेश को बरकरार रखा, जिसके अंतर्गत उन्हें 15 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि (समझौते में उल्लिखित अवधि) के लिए राजस्थान रेयान, कोटा या भारत के किसी भी भाग में किसी अन्य कंपनी, फर्म या व्यक्ति में पारी पर्यवेक्षक के समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले किसी भी पद के तहत रोजगार प्राप्त करने या टायर कॉर्ड यार्न के विनिर्माण में पारी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त होने या किसी भी पद के तहत कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने से रोक दिया गया था।

55. ***गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम कोका कोला कंपनी एवं अन्य*** (उपरोक्त) तथा ***परसेप्ट डी मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान एवं अन्य*** (उपरोक्त) में उक्त निर्णय का लगातार पालन किया गया है। उपरोक्त सभी निर्णयों के प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> ***क. <u>वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, इनकॉर्पोरेटेड बनाम नेल्सन, (1937) 1 के.बी. 209</u>***
>
> *"..... नकारात्मक प्रसंविदाओं के प्रवर्तन के संबंध में चांसरी न्यायालय की कार्यप्रणाली को सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड कैरेंस द्वारा डोहर्टी बनाम ऑलमैन, 3 अति.लो.अभि. मामला 709, 719 में सर्वोच्च अधिकार पर बताया गया है। माननीय न्यायाधीश कहते हैं: "माननीय न्यायमूर्ति, यदि कोई नकारात्मक प्रसंविदा हुआ होता, तो मैं समझता हूं कि सुस्थापित प्रथा के अनुसार, न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता। यदि पक्षकार, मूल्यवान प्रतिफल के लिए, अपनी आंखें खुली रखते हुए, यह संविदा करते हैं कि अमुक कार्य नहीं किया जाएगा, तो न्यायालय को केवल इतना करना है कि वह व्यादेश के माध्यम से वही कह दे, जो पक्षकारों ने प्रसंविदा के माध्यम से पहले ही कह दिया है, कि अमुक कार्य नहीं किया जाएगा; और ऐसे मामले में*

व्यादेश, पक्षकारों के बीच पहले से ही जो संविदा है, जो उसे न्यायालय की प्रक्रिया की मंजूरी देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती। फिर यह सुविधा या असुविधा के संतुलन का या क्षति या चोट की मात्रा का सवाल नहीं है- यह न्यायालय द्वारा उस नकारात्मक सौदे का विनिर्दिष्ट पालन है जो पक्षकारों ने, अपनी आंखें खुली रखते हुए, आपस में किया है।

प्राधिकारियों से प्राप्त निष्कर्ष यह है कि, जहां व्यक्तिगत सेवा के संविदा में नकारात्मक प्रसंविदा शामिल हैं, जिनके प्रवर्तन से संविदा के सकारात्मक प्रसंविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश नहीं दिया जाएगा, या ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा जिसके तहत प्रतिवादी को या तो निष्क्रिय रहना होगा या उन सकारात्मक प्रसंविदाओं का पालन करना होगा, न्यायालय उन नकारात्मक प्रसंविदाओं को लागू करेगा; लेकिन यह आगे विचार के अधीन है। व्यादेश एक विवेकाधीन उपाय है, और इसे प्रदान करते समय न्यायालय इसे मामले की सभी परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले उपाय तक सीमित कर सकता है।

<u>बी. निरंजन शंकर गोलकरी बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड. (1967) 2 एससीआर 378</u>

".....7 नवंबर 1964 को उन्होंने प्रत्यर्थी कंपनी को सूचित किया कि उन्होंने 31 अक्टूबर 1964 को इस्तीफा दे दिया था। प्रत्यर्थी कंपनी ने 23 नवंबर 1964 के अपने पत्र द्वारा उन्हें काम पर वापस आने के लिए कहा, जिसमें कहा गया कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था ....

भारत में न्यायालयों द्वारा भी इसी तरह का अंतर किया गया है और एक प्रतिबंध जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समझौते की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य नियोक्ता के साथ सेवा नहीं लेने या किसी तीसरे पक्ष द्वारा नियुक्त नहीं होने के लिए खुद को बाध्य करता है, को अमान्य नहीं माना गया है और संविदा अधिनियम की धारा 27 के विरुद्ध नहीं है। ब्रह्मपुत्र टी कंपनी लिमिटेड बनाम स्कार्थ [आईएलआर (XI) कैल 545] में वह शर्त जिसके अंतर्गत संविदाकर्ता को उसके पूर्व नियोक्ता के साथ संविदाकी अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रतिस्पर्धा करने से

आंशिक रूप से रोका गया था, को बुरा माना गया, लेकिन वह शर्त जिसके अंतर्गत उसने अपने संविदा की अवधि के दौरान स्वयं को अपने नियोक्ता के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा न करने के लिए बाध्य किया था, को अच्छा माना गया। अभिलेख के पृष्ठ 550 पर न्यायालय ने टिप्पणी की सेवा का ऐसा समझौता, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति समझौते की अवधि के दौरान स्वयं को किसी अन्य से सेवा न लेने, या अपने नियोक्ता के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा वाले किसी व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग न लेने, उसे बढ़ावा न देने या सहायता न देने के लिए बाध्य करता है, धारा 27 के अंतर्गत नहीं आता। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए विशेष रूप से सेवा प्रदान करने का समझौता एक वैध समझौता है, और यह देखना कठिन है कि वह समझौता कैसे अवैध हो सकता है, जो समझौते की पूर्ति के लिए तथा समझौते के प्रभावी रहने के दौरान नियोक्ता के हितों की समुचित सुरक्षा के लिए आवश्यक है।"

[प्रागजी बनाम प्राणजीवन [5 बॉम एल.आर. 872] और लालभाई दलपतभाई एंड कंपनी बनाम चित्तरंजन चंदूलाल पांड्या [ए.आई.आर. 1966 गुजरात 189] भी देखें। देशपांडे बनाम अरबिंद मिल्स कंपनी [48 बॉम एलआर 90] में सेवा के समझौते में एक सकारात्मक प्रसंविदा निहित थी अर्थात कर्मचारी अपना पूरा समय नियोक्ताओं की सेवा में लगाएगा और साथ ही एक नकारात्मक प्रसंविदा भी थी जो कर्मचारी को समझौते की अवधि के दौरान कहीं और काम करने से रोकती थी प्रागजी बनाम प्रांजिवन, चार्ल्सवर्थ बनाम मैकडोनाल्ड [आईएलआर 23 बॉम 103], मद्रास रेलवे कंपनी बनाम रस्ट [आईएलआर 14 मैड 18], सुब्बा नायडू बनाम हाजी बादशा साहिब [आईएलआर 26 मैड 168] और बर्न एंड कंपनी बनाम मैकडोनाल्ड [आईएलआर 36 कैल 354] के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए, जहां इस तरह के नकारात्मक संविदा को लागू किया गया था, विद्वान न्यायाधीशों ने देखा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 57 के उदाहरण (ग) और (घ) में इस तरह के संविदाओं और उनमें नकारात्मक संविदाओं के अस्तित्व

को मान्यता दी गई है और इसलिए यह तर्क कि सेवा समझौते में इस तरह के नकारात्मक प्रसंविदाओं का अस्तित्व इस आधार पर समझौते को शून्य बनाता है कि यह व्यापार के प्रतिबंध में था और संविदा अधिनियम की धारा 27 के विपरीत था, और इसकी की कोई वैधता नहीं थी... ...

उपर्युक्त चर्चा का परिणाम यह है कि प्रतिबंधात्मक प्रसंविदाओं के विरुद्ध विचार उन मामलों में भिन्न हैं जहां प्रतिबंध संविदा की समाप्ति के बाद की अवधि के दौरान लागू होना है, उन मामलों की तुलना में जहां यह संविदा की अवधि के दौरान संचालित होना है। रोजगार संविदा की अवधि के दौरान प्रभावी नकारात्मक प्रसंविदा, जब कर्मचारी विशेष रूप से अपने नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य होता है, को आम तौर पर व्यापार पर प्रतिबंध नहीं माना जाता है और इसलिए वे संविदा अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक नकारात्मक प्रसंविदा का कर्मचारी किसी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा या किसी अन्य स्वामी द्वारा नियोजित नहीं होगा जिसके लिए वह समान या काफी हद तक समान कर्तव्यों का पालन करेगा, इसलिए व्यापार का प्रतिबंध नहीं है जब तक कि पूर्वोक्त संविदा अनुचित या अत्यधिक कठोर या अनुचित या एकतरफा न हो जैसा कि डब्ल्यू.एच. मिलस्टेड एंड सन लिमिटेड, (1927) डब्ल्यू.एन.233 के मामले में है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पाया है, और हमारे विचार में, सही है, कि वर्तमान मामले में नकारात्मक प्रसंविदा जो रोजगार की अवधि तक सीमित है और अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी कंपनी के रोजगार में किए गए कार्य के समान या काफी हद तक समान कार्य करने के लिए है, कंपनी के हितों की सुरक्षा के लिए उचित और आवश्यक था और ऐसा नहीं है जिसे लागू करने से न्यायालय मना कर दे। इसलिए इस तर्क में कोई वैधता नहीं है कि खंड 17 में निहित नकारात्मक प्रसंविदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के बराबर है और इसलिए सार्वजनिक नीति के विरुद्ध थी "

ग*. <u>गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम कोका कोला कंपनी और अन्य, (1995) 5 एससीसी 545</u>*

34. चूंकि 1993 के समझौते के पैरा 14 में नकारात्मक संविदा इसके अनुप्रयोग में समझौते के निर्वाह की अवधि तक सीमित है और इसमें लगाया गया प्रतिबंध केवल उस अवधि के दौरान लागू है जब 1993 का समझौता विद्यमान रहा है, उक्त संविदा को व्यापार के अवरोध के रूप में नहीं माना जा सकता है ताकि संविदा अधिनियम की धारा 27 पर रोक लगाई जा सके। इसलिए, हम श्री शांति भूषण के तर्क को बरकरार रखने में असमर्थ हैं कि 1993 के समझौते के पैरा 14 में निहित नकारात्मक शर्त, व्यापार के संयम में होने के कारण, संविदा अधिनियम की धारा 27 के तहत शून्य है .....

42. व्यादेश देने के मामले में, इंग्लैंड में प्रथा यह है कि जहां एक संविदा प्रकृति में नकारात्मक है, या इसमें एक स्पष्ट नकारात्मक शर्त है, इसका भंग व्यादेश द्वारा रोका जा सकता है और व्यादेश सामान्य रूप से निश्चित रूप से दी जाती है, भले ही उपाय न्यायसंगत हो और इस प्रकार सिद्धांत रूप में एक विवेकाधीन और एक प्रतिवादी केवल इस आधार पर निषेधाज्ञा का विरोध नहीं कर सकता है कि संविदा का पालन बोझिल है उसके लिए और उसके भंग से वादी को बहुत कम या कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और एक स्पष्ट नकारात्मक शर्त के भंग को रोका जा सकता है, भले ही वादी यह नहीं दिखा सकता कि भंग से उसे कोई नुकसान होगा। [देखें: चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, 27वां संस्करण, खंड 1, सामान्य सिद्धांत, पैराग्राफ 27-040, पृष्ठ 1310; हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, चौथा संस्करण, खंड 24, पैराग्राफ 992.] भारत में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 42 में यह निर्धारित किया गया है कि धारा 41 के खंड (ङ) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां एक संविदा में एक निश्चित कार्य करने के लिए एक सकारात्मक समझौता शामिल है, एक नकारात्मक समझौते के साथ मिलकर, व्यक्त या निहित, एक निश्चित कार्य नहीं करने के लिए, परिस्थिति यह है कि न्यायालय सकारात्मक समझौते के विनिर्दिष्ट पालन को मजबूर करने में असमर्थ है, यह नकारात्मक समझौते को करने के लिए व्यादेश देने से नहीं रोकेगा। यह इस परंतुक के अधीन है कि वादी संविदा को निष्पादित करने में विफल नहीं हुआ है जहां तक यह उस पर बाध्यकारी

है। हालांकि, न्यायालय हर मामले में व्यादेश देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यदि नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करने के लिए व्यादेश लागू किया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि यह अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी को निष्क्रिय रहने या नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य करता है तो। [देखें: एहरमन बनाम बार्थोलोम्यू [(1898) 1 अध्याय 671: (1895-99) ऑल ईआर रेप एक्स्टेंशन 1680]; एन.एस. गोलिकारी [(1967) 2 एससीआर 378: एआईआर 1967 एससी 1098: (1967) 1 एलएलजे 740] पृष्ठ 389 पर देखें ।]

घ. <u>परसेप्ट डी' मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान और अन्य. (2006) 4 एससीसी 227</u>

44. अपीलार्थी अंतर्वर्ती स्तर पर संविदा के बाद की अवधि के दौरान व्यापार के प्रतिबंध की व्याख्या पर सवाल उठाने की मांग कर रहे हैं, जो व्याख्या मधुप चंदर बनाम राजकुमार दोस [(1874) 14 बेंग एलआर 76] में मुख्य न्यायाधीश सर रिचर्ड काउच के निर्णय के बाद से पिछले कई वर्षों से एक समान, सुसंगत और अपरिवर्तित रही है। संविदा अधिनियम की धारा 27 की व्याख्या, जो प्रथम दृष्टया खंडपीठ के पक्ष में पाई गई, वह ऐसी व्याख्या है जिसका 1874 से 2006 तक भारत के सभी उच्च न्यायालयों द्वारा समान रूप से और लगातार पालन किया गया है, और जिसे इस न्यायालय द्वारा निरंजन शंकर गोलीकारी [(1967) 2 एससीआर 378: एआईआर 1967 एससी 1098], सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया [(1981) 2 एससीसी 246] और गुजरात बॉटलिंग [(1995) 5 एससीसी 545] में स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया है। भले ही इस 132 वर्ष पुरानी व्याख्या पर पुनर्विचार करने का मामला था, फिर भी अपीलार्थी द्वारा कोई भी मामला नहीं बनाया गया था, वर्तमान अन्तरिम कार्यवाही में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।.....

56. हमारे देश में संविदा के बाद के प्रसंविदाओं या प्रतिबंधों के संबंध में कानूनी स्थिति सुसंगत, अपरिवर्तित और पूरी तरह से तय रही है। हमारे देश में कानूनी स्थिति निश्चित रूप से स्पष्ट है कि संविदा अधिनियम की

धारा 27 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न तो तर्कसंगतता का परीक्षण और न ही आंशिक रूप से प्रतिबंध का सिद्धांत लागू होता है, जब तक कि यह धारा 27 में निहित स्पष्ट अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है...

60. हमने संविदा पर विस्तार से विचार किया है। संविदा की शर्तें स्पष्ट रूप से 30-10-2000 से 29-10-2003 तक 3 साल तक सीमित थीं, जब तक कि आपसी समझौते द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता था, और संविदा के तहत सभी दायित्वों और सेवाओं का प्रदर्शन अवधि के दौरान किया जाना था।

61. खंड 31 (ख) को केवल अवधि के दौरान ही कार्य करना था, यानी 29-7-2003 पर खंड 31 (क) के तहत पहली बातचीत की अवधि के समापन से लेकर 29-10-2003 तक। इसका प्रत्यर्थी 1 ने निष्ठापूर्वक अनुपालन किया है। जब तक खंड 31 (ख) को समझौते की अवधि के दौरान अर्थात 29-7-2003 से 29-10-2003 तक की अवधि के दौरान सक्रिय होने के रूप में पढ़ा जाता है, यह वैध और प्रवर्तनीय हो सकता है। हालाँकि, जैसे ही इसे समझौते की अवधि और समाप्ति के बाद लागू करने की मांग की जाती है, यह प्रथम दृष्टया शून्य हो जाता है, खण्ड पीठ द्वारा सही अभिनिर्धारित किया गया है।

62. यदि खंड 31(ख) के तहत नकारात्मक प्रसंविदा या दायित्व को अवधि से परे लागू करने की मांग की जाती है, यानी यदि इसे 20-11-2003 को किए गए संविदा के खिलाफ लागू किया जाता है, जो 1-12-2003 को प्रभावी हुआ, फिर यह प्रत्यर्थी1 की अपनी पसंद के व्यक्तियों के साथ वैश्वासिक संबंध बनाने की स्वतंत्रता पर एक गैरकानूनी प्रतिबंध का गठन करता है, और उस पर अपीलार्थी के साथ एक नया संविदा करने के लिए मजबूर करता है, भले ही उसने पिछले संविदा को पूरी तरह से पालन किया हो, और इसलिए, यह व्यापार का प्रतिबंध है जो संविदा अधिनियम की धारा 27 के तहत शून्य है।

63. संविदा अधिनियम की धारा 27 के तहत: (क) संविदा की अवधि से परे विस्तारित प्रतिबंधात्मक प्रसंविदा शून्य है और लागू करने योग्य नहीं है,

(ख) व्यापार के प्रतिबंध का सिद्धांत रोजगार के लिए संविदा की निरंतरता के दौरान लागू नहीं होता है और यह केवल तभी लागू होता है जब संविदा समाप्त हो जाता है, (ग) जैसा कि गुजरात बॉटलिंग बनाम कोका-कोला [(1995) 5 एससीसी 545] में इस न्यायालय द्वारा माना गया है, यह सिद्धांत केवल रोजगार के संविदाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य सभी संविदाओं पर भी लागू होता है....."

56. नतीजतन, व्यक्तिगत सेवा के संविदा में नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करने के लिए न्यायालय को व्यादेश अनुदित करने से कुछ भी नहीं रोकता है।

<u>धारा 27 केवल संविदा के बाद की अवधि में प्रतिबंधों पर लागू होती है।</u>

57. इस न्यायालय का विचार है कि न तो समझौता और न ही अपीलार्थी/वादी और प्रत्यर्थी के बीच का परिशिष्ट भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 27 द्वारा वर्जित है क्योंकि उक्त धारा संविदा के बाद की अवधि में प्रतिबंधों पर लागू होती है, वर्तमान मामले में किसी एक पक्ष द्वारा परिशिष्ट की वचन दिए गए अवधि (30 सितंबर, 2025 तक) के बाद की अवधि पर लागू होती है और न कि संविदा की एकतरफा समाप्ति के बाद। अधिनियम, 1963 की धारा 42 निरर्थक हो जाएगी यदि यह अभिनिर्धारित किया जाए कि चूंकि किसी पक्ष ने समय से पहले एकतरफा रूप से संविदा समाप्त कर दिया है, इसलिए न्यायालय नकारात्मक प्रसंविदा को लागू नहीं कर सकता।

58. इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलत तरीके से माना है कि ***निरंजन शंकर गोलिकरी बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड***

मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड **(**उपरोक्त**)** में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि संविदा अभी भी उसमें विद्यमान था। इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ***निरंजन शंकर गोलिकरी बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड*** **(**उपरोक्त**)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी द्वारा संविदा समाप्त करने के बावजूद नकारात्मक प्रसंविदा को लागू किया।

59. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ***परसेप्ट डी मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान एवं अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आक्षेपित आदेश में भरोसा करना भी अनुपयुक्त है। भी गलत हैं, जैसा कि उक्त मामले में, क्रिकेटर का वादी के साथ एजेंट के रूप में उसकी सेवाएं लेने का समझौता समाप्त हो गया था, अर्थात् समय बीतने के साथ समाप्त हो गया था और इसमें क्रिकेटर के खिलाफ व्यादेश मांगी गई थी कि वह संविदा के पालन के बाद विभिन्न एजेंसियों के साथ संविदा न करे। ऐसी परिस्थितियों में, यह माना गया कि वादी, क्रिकेटर को वादी को स्थायी रूप से अपना एजेंट नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

60. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मान कर गलती की है कि चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 ने संविदा को समाप्त कर दिया है, इसलिए नकारात्मक प्रसंविदा को लागू नहीं किया जा सकता है।

61. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 6 ने परिशिष्ट की अवधि का पालन किए बिना, परिशिष्ट की अवधि के दौरान तीसरे पक्ष के अधिकार बनाना शुरू कर दिया है, जो 30 सितंबर, 2025 तक है। इसलिए, इसमें अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ अंतरिम व्यादेश की मांग की है, जिसमें उसे केवल समझौते के कार्यकाल के दौरान यानी 30 सितंबर, 2025 तक तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोकने की मांग की गई है।

क्षति पर्याप्त उपाय नहीं है।

62. यह न्यायालय अपीलार्थी/ वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से सहमत है कि यदि असंभव नहीं है तो प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा परिशिष्ट के तहत गाए जाने वाले गीतों से होने वाली आय का निर्धारण करना मुश्किल है। एक गीत सुपरहिट हो सकता है, जबकि हो सकता है कि दूसरा बिल्कुल भी अच्छा न चले। परिणामस्वरूप, गीतों से अर्जित राजस्व की कोई निश्चित राशि आसानी से पता नहीं लगाई जा सकती है। इस प्रकार इस न्यायालय के लिए नुकसान की मात्रा का पता लगाना असंभव है।

63. प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूल समझौते के खंड 7.1 पर भरोसा करना, जिसमें निश्चित क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, गलत है क्योंकि उक्त खंड केवल उस स्थिति से संबंधित है जब संविदा को अपीलार्थी/वादी द्वारा अकेले समाप्त किया जाता है, न कि प्रत्यर्थी संख्या

1/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा। वास्तव में समझौते की अनुसूची क खंड 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, *"कलाकार* (प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6) *किसी भी अवधि के लिए किसी भी कारण से इस समझौते को समाप्त नहीं करेगा।"*

64. इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट जो मूल समझौते के समाप्ति खंड को प्रतिस्थापित करता है, पूर्व निर्धारित क्षति से संबंधित खंड के लिए प्रदान नहीं करता है। इसके विपरीत, परिशिष्ट के खंड 9.8 में यह स्वीकार किया गया है कि समझौतों के भंग की स्थिति में, क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपाय नहीं हो सकती है और पक्ष समझौतों के विनिर्दिष्ट प्रवर्तन के हकदार होंगे तथा व्यादेश के साथ-साथ अन्य न्यायसंगत अनुतोष की मांग करेंगे। प्रासंगिक खंड नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

> *"9.8. <u>विनिर्दिष्ट निष्पादन।</u>* ***पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि क्षति एक पर्याप्त उपाय नहीं हो सकता है और पार्टियां एक व्यादेश, अवरूध आदेश, वसूली का अधिकार, विनिर्दिष्ट प्रदर्शन के वाद या ऐसी अन्य न्यायसंगत अनुतोष की हकदार होंगी जो सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत दूसरे पक्ष को किसी भी उल्लंघन से रोकने या इस समझौते में निहित समझौतों, अभ्यावेदन और दायित्वों के प्रदर्शन को लागू करने के लिए मुकदमा आवश्यक या उचित मान सकती है। ये व्यदेशी उपचार संचयी हैं और किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त हैं जो पक्षों को कानून या इक्विटी में प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें क्षतिपूर्ति का अधिकार भी शामिल है।"***
>
> (जोर दिया गया)

65. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का विचार है कि मूल समझौते और प्रश्नगत परिशिष्ट दोनों ही प्रत्यर्थी को यह तर्क देने से रोकते हैं कि नुकसान एक पर्याप्त उपाय है और यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/ प्रतिवादी संख्या 6 भंग में पक्षकार है जिसके कार्यों से अपीलार्थी/वादी को नुकसान हुआ है।

<u>वाद में दिए गए कथनों को देखते हुए, अपीलार्थी वादी के मुकदमे को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता।</u>

66. जहाँ तक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका का संबंध है, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी/अभियोक्ता ने पैरा 106 में अपनी शिकायत में कहा है कि *'वादी प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अभियोक्ता के साथ समझौते के तहत दिए गए प्रतिलिप्याधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के भंग में बनाई गई सामग्री नई दिल्ली में देखी गई है और दिल्ली में उपभोक्ताओं द्वारा डाउनलोड की गई है। इस प्रकार, नई दिल्ली में हो रहे साहित्यिक कार्य, संगीत कार्य, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और ध्वनि रिकॉर्डिंग में वादी के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो इस माननीय न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर है। इस प्रकार, इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान वाद पर विचार करने, विचारण करने और निर्णय देने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है।'*

67. इस न्यायालय ने ***बनयान ट्री होल्डिंग (पी) लिमिटेड बनाम ए. मुरली कृष्ण रेड्डी और अन्य 2009 एससीसी ऑनलाइन डेल 3780*** के मामले में निर्णय दिया है, '*...पारित होने या उल्लंघन की कार्रवाई (जहां वादी अदालत के*

अधिकार क्षेत्र में स्थित नहीं है) के उद्देश्यों के लिए, मंच राज्य में प्रतिअभियोक्ता की वेबसाइट तक पहुंच के परिणामस्वरूप मंच राज्य के भीतर अभियोक्ता के व्यवसाय, सद्भावना या प्रतिष्ठा पर हानिकारक प्रभाव दिखाना होगा। स्वाभाविक रूप से इसलिए, इसके लिए मंच राज्य में अभियोक्ता की उपस्थिति की आवश्यकता होगी न कि केवल भविष्य में ऐसी उपस्थिति की संभावना। दूसरा, यह दिखाने के लिए कि अभियोक्ता द्वारा एक हानिकारक प्रभाव महसूस किया गया है यह दिखाना होगा कि मंच राज्य में दर्शकों को विशेष रूप से लक्षित किया गया था। इसमुकदमा 'प्रभाव' परीक्षण को 'स्लाइडिंग स्केल' परीक्षण के संयोजन के साथ लागू करना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या मंच अदालत के पास इंटरनेट आधारित विवादों से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है'।

68. इसके बाद, ***वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इंक. बनाम में एक और खण्ड पीठ।एम/एस। रेशमा कलेक्शन एंड ऑर्स., 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2031*** ने कहा है, '*...प्रौद्योगिकी में प्रगति और इंटरनेट पर व्यवसाय करने के नए मॉडलों के तेजी से विकास के कारण, किसी संस्था के लिए उस स्थान पर आभासी उपस्थिति होना संभव है जो उस स्थान से कुछ दूरी पर स्थित है जहां उसकी भौतिक उपस्थिति है। किसी विशेष स्थान पर वेबसाइट द्वारा से लेन-देन की उपलब्धता लगभग वैसी ही है जैसी भौतिक दुनिया में उस स्थान पर दुकान रखने वाले विक्रेता की होती है। आइए हम तर्क के लिए मान लें कि*

अपीलार्थी/वादी की दिल्ली में एक दुकान थी जहाँ से उसने अपनी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को बेचा था। उस मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अभियोक्ता दिल्ली में व्यवसाय करता था। यह इस तथ्य के अलावा है कि अपीलार्थी/वादी को स्वेच्छा से दिल्ली में रहने वाला भी माना जा सकता है। जब 'भौतिक अर्थ' में दुकान को प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण 'आभासी' दुकान से बदल दिया जाता है, तो हमारे विचार में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी/वादी दिल्ली में व्यवसाय नहीं करेंगे'।

69. चूंकि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी/ वादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि दिल्ली में दर्शकों को विशेष मुक़दमे से लक्षित किया गया है और इसका कथित हानिकारक प्रभाव पड़ा है, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी/ वादी के मुकदमे को इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 के लिए खुला है कि वह विचारण चरण पर इस प्रतिवाद को उठाए।

<u>बचाव के मद्देनजर कि समझौता और परिशिष्ट धोखाधड़ी से विकृत हैं, मामले को मध्यस्थता में नहीं भेजा जा सकता है।</u>

70. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अंतरिम व्यादेश को हटाने के लिए दायर आवेदन में प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी संख्या 6 का मामला यह था कि संपूर्ण मूल समझौता और परिशिष्ट, जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल है, वह कपट से

विकृत हैं। प्रत्यर्थी संख्या1/ प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दायर अंतरिम व्यादेश को हटाने के लिए आवेदन का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"15. उसके बाद फरवरी 2022 के महीने में श्री राज कुमार सिंह (वादी के प्रतिनिधि) ने फिर से आवेदक/प्रत्यर्थी सं.6 को उत्तर देते हुए संपर्क किया और कहा कि वह नए सिरे से आवेदक के साथ बने रहना चाहते हैं और इस बार भंग नहीं होगा, लेकिन आवेदक/प्रतिवादी संख्या 6 ने राज कुमार सिंह के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। बाद में राज कुमार सिंह और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड कहने पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड कई निवेशक, इसके निदेशक, उनके प्रवर्तक और आवेदक/प्रतिवादी सं.6 उपस्थित थे। उसी बैठक में उन्होंने आवेदक/उत्तर देने वाले प्रतिवादी संख्या 6 को वादी के साथ काम करना जारी रखने के लिए राजी किया। पिछले आचरण के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। फिर से अच्छे विश्वास में उन्होंने कुछ लिखित कागजात पर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त किए, जिसमें कहा गया कि यह एक नया/नया समझौता है और आश्वासन दिया कि नए समझौते में दोनों पक्षों को समान अधिकार और दायित्व मिलेंगे, आगे कहा गया कि आवेदक/उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी सं.6 को एक कलाकार, अभिनेता, कलाकार आदि के रूप में अपना पेशा जारी रखने की स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्र रूप से और किसी भी मामले में वादी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं रहेगा। इस बार वादी ने समझौते को अंग्रेजी और हिंदी में टाइप करवाया था, साथ ही यह भी दिखाया कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। इसके अलावा यह भी सहमति हुई कि समझौते की अवधि के अनुसार आवेदक/ प्रत्यर्थी संख्या 6 को अन्य निर्माताओं/निर्देशकों के साथ भी काम करने की पूरी स्वतंत्रता और अधिकार होगा। इसके बाद, आवेदक/उत्तर देने वाले प्रतिवादी संख्या 6 ने अन्य उत्पादकों के साथ भी अपना काम/समनुदेशन जारी रखना शुरू कर दिया। अब, जब आवेदक/उत्तर देने वाले प्रतिवादी संख्या 6 अन्य उत्पादकों के साथ काम कर रहा था, तो उसे पता चला कि वादी ने मेरे द्वारा सहमत और समझे गए नए संविदा को बनाने के नाम पर धोखाधड़ी से मेरे*

हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने एक संविदा तैयार किया है और आवेदक से हस्ताक्षर करवाए हैं, जहां नए संविदा के नियम और शर्तें दिनांक 27.04.2021 के पिछले अवैध और शून्य संविदा के समान थीं। प्रतिवादी संख्या 6 ने संविदा को समझने के बाद महसूस किया कि वादी ने आवेदक/उत्तर देने वाले प्रतिवादी संख्या 6 को फिर से अपनी कंपनी के साथ विशेष रूप से बाध्य किया है जो प्रतिवादी संख्या 6 के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण और हानिकारक है। इसके अलावा, वादी का आचरण फरवरी की बैठक में चर्चा की गई शर्तों और नियमों का पालन न करने के उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है।

XXX XXX XXX

22. समाप्ति खंड में भी कलाकार को संविदा समाप्त करने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। कलाकार को तीसरे पक्ष को गीत परिदेय के लिए उत्तरदायी बनाया गया है जिसके साथ उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौता नहीं है। आवेदक/प्रतिवादी के लेखकों, गीतकारों, निर्देशकों, निर्माताओं के अधिकारों को वादी द्वारा इस तथ्य के बावजूद छीनने का प्रयास किया गया है कि आवेदक/प्रतिवादी द्वारा गाए गए गीतों का कोई लेखक/गीतकार, निर्देशक और निर्माता उपरोक्त कपटपूर्ण और गैरकानूनी समझौतों में पक्षकार नहीं थे। समझौतों का मसौदा कपटपूर्णता की मानसिकता के साथ तैयार किया गया है जिसमें न केवल आवेदक/प्रतिवादी की कला को चुराने, हड़पने और हिरासत में लेने का प्रयास किया गया है, बल्कि लेखकों, गीतकार, निर्देशकों, निर्माताओं के काम को भी अवैध रूप से कब्जाने का प्रयास किया गया है।"

71. ***विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एससीसी 1***, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"78. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हम एन. राधाकृष्णन [एन. राधाकृष्णन बनाम मेस्ट्रो इंजीनियर्स, (2010) 1 एससीसी 72: (2010) 1 एससीसी (सिविल) 12] में दिए गए निर्णय को खारिज करते हैं, अन्य बातों के साथ-

साथ यह देखते हुए कि कपटसंधि के आरोपों को मध्यस्थता का विषय नहीं बनाया जा सकता है, जब वे सिविल विवाद से संबंधित हों। यह इस कैवियट के अधीन है कि कपट , जो मध्यस्थता खंड को बिगाड़ और अवैध कर देगा, गैर-मध्यस्थता से संबंधित एक पहलू है। हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले को भी खारिज कर दिया है। [एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम सतपाल सिंह बख्शी, 2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 4815: (2013) 134 डीआरजे 566] जिसमें कहा गया है कि डीआरटी अधिनियम के तहत डीआरटी द्वारा जिन विवादों का न्यायनिर्णय किया जाना है, वे मध्यस्थता योग्य हैं। वे गैर-मध्यस्थ हैं"

72. परिणामस्वरुप, चूंकि यह प्रत्यर्थी सं.1 /प्रतिवादी सं.6 का मामला है कि कपटसंधि मध्यस्थता खंड सहित पूरे मूल समझौते और परिशिष्ट को निष्फल और अमान्य कर देती है, इसलिए मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।

73. किसी भी स्थिति में, चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में आपत्ति पर विचार नहीं किया है, अतः इस न्यायालय का यह विचार है कि उक्त आधार पर वर्तमान अपील को खारिज करना उचित एवं यथोचित नहीं होगा।

<u>पक्षों के बीच हुए समझौते न तो 'अत्यधिक एकतरफा' हैं और न ही वे कोई 'बंधन' लगाते हैं।</u>

74. तथ्य यह है कि परिशिष्ट के तहत, प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं.6 को देय प्रतिफल के ऊपर दिए गए परदेय से अर्जित लाभ में 10% हिस्सा देने के लिए और प्रति गीत 2,50,000/- रुपये के प्रतिफल के अतिरिक्त पर्याप्त रूप से बढ़ा

दिया गया था, जो अपीलार्थी/वादी के इस तर्क को मजबूत करता है कि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 की समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व के साथ परिशिष्ट को निष्पादित किया गया था।

75. परिणामस्वरूप, मूल समझौते और परिशिष्ट का पालन विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन था, जो पक्षों के बीच विस्तृत बातचीत के बाद किया गया था। यदि कोई प्रतिबंध थे, तो प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 द्वारा किए गए स्वैच्छिक दायित्वों और उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों के कारण थे।

76. इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत है कि पक्षों के बीच समझौता *'गोलियथ और डेविड'* या कर्मचारी-नियोक्ता या प्रबंधक-खिलाड़ी संविदा के बीच का संविदा नहीं है। बल्कि ये समान सौदेबाजी शक्ति वाले पक्षों के बीच और पारस्परिक वाणिज्यिक लाभ के लिए किए गए वाणिज्यिक समझौते हैं। तदनुसार, पक्षों के बीच समझौते न तो 'अत्यधिक एकतरफा' हैं और न ही वे प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 पर कोई 'बंधन' लगाते हैं। इसलिए, प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 को किसी कानून का कथित उल्लंघन करने वाले प्रतिबंध की आड़ में अपने वादों से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

<u>प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं.6 का प्रथम दृष्टया आचरण न तो ईमानदारी का है और न ही उचित है।</u>

77. प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 द्वारा अपनाई गई प्राथमिक रक्षा कि उसने अपीलार्थी/वादी द्वारा किए गए गलत बयान या कपटसंधि के तहत समझौते

किए क्योंकि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 अंग्रेजी में पारंगत नहीं था, जिसमे कोई विश्वास नहीं होता है। पक्षों के बीच कानूनी सूचना के आदान-प्रदान के बाद परिशिष्ट को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में दर्ज किया गया था ताकि किसी भी आरोप से बचा जा सके कि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 समझौते की शर्तों को नहीं समझते थे।

78. इस न्यायालय ने यह भी पाया कि परिशिष्ट के पालन के समय हस्तलेखन में कई सम्मिलन/सुधार किए गए थे और प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो परिशिष्ट के खंड 3.1, 2.2 और 8 की समीक्षा से स्पष्ट है।

79. मूल समझौते के पालन के बाद पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के कारण, इस न्यायालय का *प्रथम दृष्टया* यह मत है कि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 एक पेशेवर होने के कारण परिशिष्ट के पालन के समय न्यायालयों और उसके प्रबंधक द्वारा सहायता प्राप्त होने की की संभावना है। इस दृष्टिकोण को इस तथ्य से समर्थन मिलता है कि पक्षों के बीच कई कानूनी नोटिसों का आदान-प्रदान किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी संख्या के अधिवक्ता द्वारा जारी 27 दिसंबर, 2021 का उत्तर और 2 फरवरी, 2022 का उत्तर शामिल है।

80. इसके अलावा, यह केवल इस अपील की सुनवाई के दौरान था जब इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच निष्पादित

1 जून, 2021 के समझौते के संबंध में संदेह उठाया था, कि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 ने पहली बार प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ समझौते पर अपने हस्ताक्षर पर विवाद किया था, हालांकि इस तथ्य पर कभी भी एकल न्यायाधीश के समक्ष विवाद नहीं हुआ था। परिणामस्वरुप, इस न्यायालय का *प्रथमदृष्टया* मानना है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी का आचरण न तो ईमानदार रहा है और न ही निष्पक्ष।

नकारात्मक प्रसंविदा (परिशिष्ट का खंड 3.5) लागू करने से प्रत्यर्थी संख्या 1 न तो निष्क्रिय हो जाएगा और न ही उसे अपीलार्थी के साथ विशेष रूप से काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

81. यह न्यायालय प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से असहमत है कि यदि नकारात्मक प्रसंविदा लागू की जाती है, तो प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

82. प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित प्रस्तुतियों में यह स्वीकार किया गया है कि वह एक अच्छे तरह से स्थापित कलाकार हैं, जिनके कोष में कई राजस्व स्रोत हैं और एक बहुआयामी व्यक्ति हैं क्योंकि वे पिछले दस (10) वर्षों से भोजपुरी फिल्म उद्योग में एक अभिनेता, गायक और नर्तक हैं और फिल्मों के साथ-साथ राष्ट्रीय टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और मंचों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

83. इस न्यायालय की राय है कि परिशिष्ट के खंड 3.5 में निहित नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करने से न तो उसे अपीलार्थी/ वादी के साथ विशेष रूप से काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा, न ही उसे 'बेंच पर बैठाया जाएगा' या उसे 'निष्क्रिय' बनाया जाएगा या उसे अपने व्यापार या पेशे का अभ्यास करने से रोका जाएगा क्योंकि वह भोजपुरी फिल्म उद्योग के साथ-साथ राष्ट्रीय टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और स्टेज पर अभिनय, गायन, नृत्य करना जारी रखेगा। इसके अलावा, परिशिष्ट के खंड 3.5 में निहित नकारात्मक प्रसंविदा को लागू करना सार और प्रभाव में व्यक्तिगत सेवा के समझौते के विनिर्दिष्ट प्रदर्शन की डिक्री के बराबर नहीं होगा। परिणामस्वरूप, ***एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड बनाम मलिका मल्होत्रा*** (उपरोक्त), ***सिमरन म्यूजिक कंपनी बनाम प्रीत बरार एवं अन्य*** (उपरोक्त), ***इनफिनिटी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (आईओएस) बनाम विजेंद्र सिंह एवं अन्य*** (उपरोक्त) और ***वॉरेन बनाम मेंडी एवं अन्य*** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी संख्या 6 को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

<u>यह प्रतिविरोध कि परिशिष्ट पर कभी कार्रवाई नहीं की गई, सही नहीं है</u>

84. प्रत्यर्थी सं.1/प्रतिवादी सं.6 का यह तर्क कि परिशिष्ट पर कभी कार्रवाई नहीं की गई, सही नहीं है क्योंकि मूल समझौते की शुरुआत के बाद से उनके द्वारा दिए गए कुल बारह (12) गीतों में से आठ (8) गीत परिशिष्ट के पालन

के बाद दिए गए थे, यानी 8 अप्रैल 2022 के बाद। बारह (12) गीतों की प्राप्ति के बाद, अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रदान की गई तीस लाख रुपये (30,00,000/- रुपये) की अग्रिम राशि समायोजित कर दी गई और अपीलार्थी/वादी द्वारा आगे बीजक जुटाने का अनुरोध किया गया था।

कोई आरोप नहीं कि अपीलार्थी/वादी ने मूल समझौते या परिशिष्ट को भंग किया है

85. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अंतरिम व्यादेश हटाने के लिए आवेदन में या वर्तमान अपील में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी/ वादी ने मूल समझौते या परिशिष्ट की किसी शर्त को भंग या अतिक्रमण किया है। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का *प्रथमदृष्टया* मानना है कि अपीलार्थी/ वादी हमेशा अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक रहा है और उसने मूल समझौते और/ या परिशिष्ट के तहत अपने किसी भी दायित्व को भंग नहीं किया है।

निष्कर्ष

86. निष्कर्ष के तौर पर, संशोधन अधिनियम, 2018 ने विनिर्दिष्ट पालन प्रदान करने में न्यायालयों के विवेकाधिकार को छीन लिया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रकृति को असाधारण नियम से बदलकर सामान्य नियम बनाने का काम संविदात्मक प्रवर्तन सुनिश्चित करने और संविदाओं की पवित्रता के अनुपालन को बढ़ाने के लिए किया गया है।

87. किसी भी स्थिति में, न्यायालयों को एक नकारात्मक प्रसंविदा का पालन करने के लिए व्यादेश देने से रोका नहीं जाता है और यह अधिनियम, 1963 की धारा 14 द्वारा किसी भी तरह से नियंत्रित/ प्रभावित नहीं है।

88. तदनुसार, उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है और यह न्यायालय प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी संख्या 6 को 30 सितंबर, 2025 तक किसी भी नए गीत के मुद्रीकरण के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 और/ या अपीलार्थी/वादी के प्रतिस्पर्धी सहित किसी भी तीसरे व्यक्ति के साथ संलग्न होने से रोकता है, सिवाय इसके कि जब अपीलार्थी/ वादी उक्त गीत की परिदान लेने से इनकार कर दे, बशर्ते कि अपीलार्थी/ वादी इस न्यायालय की रजिस्ट्री में शेष शुल्क (अर्थात 2.20 करोड़ रुपये) जमा करके अपनी सद्भावना साबित करे। उक्त राशि का जारी होना, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन होगी। मामले को विवाद से परे रखने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी सं.1/ प्रतिवादी सं.6 भोजपुरी फिल्म उद्योग के साथ-साथ राष्ट्रीय टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और मंचों पर अभिनय, गायन, नृत्य करना जारी रख सकते हैं, लेकिन वह अपने नए गाने वितरकों/ संगीत कंपनियों/ निर्माताओं/ तीसरे पक्ष जैसे प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 आदि को तब तक नहीं बेच सकता जब तक अपीलार्थी/ वादी उक्त नए गानों की परिदान करने से इनकार नहीं कर देता है।

89. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान अपील और आवेदनों का निपटारा किया जाता है, परंतु लागत के संबंध में जुर्माने का कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

न्या. मनमोहन

न्या. सौरभ बनर्जी

सितंबर 05, 2023
टीएस/**एएस/केए**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*